भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2006

फा.सं. 6–4/2006–बी एण्ड सीएस.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के प्रावधान तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खण्ड (डी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फा.सं. 13–1/2004–रिस्ट्र से निर्गत अधिसूचना सं0 39 [सं0 का.आ. 44(अ) तथा 45 (अ) दिनांक 9 जनवरी, 2004] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनिमय, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) के उप–खण्ड (ii), (iii) और (iv) तथा धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं)अन्तरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (जिसे यहां इसके बाद ''प्रधान विनियम'' कहा जाएगा) में निम्नलिखित सं ाोधन किए जाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तारः–

(i) यह विनियम ''दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन (तीसरा सं ाोधन) विनियम, 2006 (2006 का 10)'' कहा जाएगा ।

(ii) यह विनियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रका ान की तारीख से लागू होगा ।

2. प्रधान विनियम के खण्ड 2 में उप–खण्ड (एन) के बाद निम्नलिखित नया उप–खण्ड और उससे संबंधित प्रविश्टियों को उप–खण्ड (ओ) से (आर) के रूप में जोड़ा जाएगा :

"(ओ) **'आरआईओ'**का आ ाय पार्टी द्वारा प्रकाि ात संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव से है, जिसमें वे भार्तें निर्धारित होती हैं जिनको पूरा करने पर दूसरी पार्टियां, उस पार्टी से अन्तरसंयोजन प्राप्त करने की हकदार होंगी ।

(पी) **'सब्सक्राइबर आधार'** का आ ाय ऐसे सब्सक्राइबरों की संख्या से है,

(i) जिनके बारे में गैर एड्रेसेबल प्रणाली में दो सेवा प्रदाताओं के बीच सहमति हो तथा जिसके आधार पर एक सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए अथवा,

(ii) जहां एड्रेसेबल सिस्टम लागू हो, वहां सब्सक्राइबर मनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रतिबिम्बित किया जाए ।

(क्यू) **'सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट'** अथवा **एसएलआर''** का आ ाय गैर–एड्रेसेबल प्रणाली में एक ऐसे मासिक विवरण से है, जिसके बारे में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर उस माह के सब्सक्राइबर आधार के बारे में सहमत हों ।

(आर) **'सब्सक्राइबर मनेजमेंट सिस्टम'** अथवा **'एसएमएस'**का आ ाय ऐसी प्रणाली या उपकरण से है, जिसमें एड्रेसेबल प्रणाली में सब्सक्राइबर के नाम, पता आदि से संबंधित रिकॉर्ड तथा ब्यौरे के साथ–साथ सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड किए गए चैनलों/चैनल समूहों, प्रणाली में निर्धारित किए गए ऐसे चैनलों अथवा चैनल समूहों की कीमत, किसी चैनल या चैनल समूहों को एक्टिवेट/डिएक्टीवेट करने की तारीख तथा समय के बारे में सूचना, सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड में सभी निश्पादित कार्यों का विरण, प्रत्येक सब्सक्राइबर को जारी किए गए बीजक तथा प्रत्येक बिल अवधि के लिए सब्सक्राइबर द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा दर्ज होता है ।

3. प्रधान विनियम के खण्ड 3 में:

(क) उपखण्ड 3.2 के दूसरे प्रावधान के बाद निम्नलिखित स्पश्टीकरण तथा इससे संबंधित प्रविश्टियां जोड़ी जाएंगीः–

''स्पश्टीकरण

टीवी चैनलों के ऐसे आवेदक वितरक जो इस समय संबद्ध मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से भिन्न किसी अन्य मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से या ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट/किसी अन्य मध्यस्थ से अथवा सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल फीड प्राप्त करना चाहता है वह सेवा के लिए अपने अनुरोध के साथ–साथ नवीनतम मासिक बीजक की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस समय संबद्ध मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट/किसी अन्य मध्यस्थ, जो टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने के लिए भुगतान वसूल करता है को देय रा ि।, यदि कोई हो, का ब्यौरा द ार्या गया हो । ''

(ख) उपखण्ड 3.2 और उससे संबंधित प्रविश्टियों के बाद निम्नलिखित नया उपखण्ड तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों को उपखण्ड 3.3 के रूप में जोड़ा जाएः

''3.3 कोई ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई एजेंट–कोई अन्य मध्यस्थ, जो टीवी चैनलों के वितरक को टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने के लिए भुगतान वसूल करता है, वह टीवी चैनलों के वितरक को मासिक बीजक जारी करेगा । मासिक बीजक में भुगतान की देय रा ि। के साथ–साथ बकाया रा ि। तथा वर्तमान देय रा ि। स्पश्ट दिखाई जाएगी ।

स्पश्टीकरण

बकाया राि ा के किसी भी दावे के साथ यह सेवा प्रमाण भी दिया जाना चाहिए कि जिस अवधि से संबंधित बकाया राि ा है, उसके लिए बीजक जारी किया गया था ।

(ग) वर्तमान खण्ड 3.3 और उससे संबंधित प्रविश्टियों को खण्ड 3.4 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और वर्तमान खण्ड 3.4 और उससे संबंधित प्रविश्टियों को हटा दिया जाएगा ।

(घ) उपखण्ड 3.4 के बाद निम्नलिखित नया उपखण्ड और उससे संबंधित प्रविश्टियों को उपखण्ड 3.5 के रूप में जोड़ा जाएगा:

''3.5 कोई ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई एजेंट/कोई अन्य मध्यस्थ, जिसे टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया जाता है, वह सिगनल की मांग करने वाले टीवी चैनलों के वितरक को या तो आपसी सहमति की भार्तों पर सिगनल मुहैया कराएगा या समुचित समय के भीतर ऐसी भार्तों को विनिर्दिश्ट करेगा जिस पर वे टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने के लिए तैयार है, परंतु यह अवधि अनुरोध किए जाने की तारीख से 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए । यदि ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई एजेंट/कोई अन्य मध्यस्थ, जिससे टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है, टीवी चैनल के सिगनल के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो टीवी चैनल के सिगनलों को मुहैया कराने का अनुरोध किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर अनुरोध अस्वीकार करने के कारण अव य सूचित किए जाने चाहिए ताकि टीवी चैनलों का वितरक समुचित मंच पर इस मामले का उठा सके ।

स्पश्टीकरण

60 दिन की समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा लिया गया वह समय भी भाामिल होगा, जो टीवी चैनलों के ऐसे वितरक, जिसने सिगनलों के लिए अनुरोध किया है, के संबंध में ब्राडकास्टर द्वारा अपने ऐजेंट या मध्यस्थ से और प्रतिकूलतः अर्थात् इन लोगों द्वारा ब्राडकास्टर से संपर्क करने में लगे । ''

(ड़) वर्तमान उपखण्ड 3.5 में और इससे संबंधित प्रविश्टियों को उपखण्ड 3.6 के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जाएगा और वर्तमान उपखण्ड 3.6 तथा इससे संबंधिति प्रविश्टियों को हटा दिया जाएगा ।

(च) पुनर्संख्यांकित उपखण्ड 3.6 वर्तमान स्पश्टीकरण और इससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्पश्टीकरण तथा इससे संबंधित प्रविश्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगीः

''स्पश्टीकरण

''समान प्रकार के टीवी चैनलों के वितरक'' का आ य टीवी चैनलों के ऐसे वितरकों से है जो समान प्रकार की परिस्थितियों में काम करते हैं । टीवी चैनलों के वितरक समान प्रकार के हैं या नहीं यह वि लेशण करने के लिए ऐसे कारकों पर कि क्या वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र और आस–पास के क्षेत्राों में परिचालित करते हैं, मोटे तौर पर उनके सब्सक्राइबर की संख्या समान है, वे समान उपकरण खरीदते हैं, और वितरण की समान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, पर आधारित होता है, परन्तु यह इसी तक सीमित नहीं है ।

संदेह को दूर करने के लिए आगे यह भी स्पश्ट किया जाता है कि टीवी चैनलों के वितरकों जो एड्रेसेबल प्रणालियों का इस्तेमाल करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों के समान प्रकार का वितरक नहीं कहा जा सकता है । ''

4. प्रधान विनियमे में वर्तमान खण्ड 4 तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड तथा उसे संबंधित प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगीः

''टीवी चैनल के सिगनलों का वियोजन

4.1 तीन सप्ताह का ऐसा नोटिस दिए बिना, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों का स्पश्ट उल्लेख हो, कोई भी ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, टीवी चैनलों के वितरक को मुहैया कराए गए टीवी चैनल के सिगनलों का वियोजन नहीं करेगा ।

यदि कोई ऐसा करार, लिखित या मौखिक हो, जिसमें ब्राडकास्टिंग सेवा के वितरण की अनुमति दी गई हो और जो समय बीतने के साथ समाप्त हो गया हो तो भी टीवी चैनलों के वितरक को मुहैया कराए गए सिगनलों के वियोजन से पूर्व भी नोटिस दिया जाना अपेक्षित होगा ।

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि सिगनलों के वितरण की अनुमति प्रदान करने के लिए कोई करार, लिखित या मौखिक, न हो तो कोई नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

4.2 टीवी चैनलों का कोई भी वितरक, ब्राडकास्टर अथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, को तीन सप्ताह का ऐसा नोटिस दिए बिना जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों का स्पश्ट उल्लेख हो, किसी टीवी चैनल के रि–ट्रांसमि ान का वियोजन नही करेगा ।

4.3 ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/टीवी चैनल के वितरक उपभोक्ताओं को ऐसे विवाद के बारे में सूचित करेंगे ताकि वे अपने हितों की रखा कर सकें । तदनुसार, यदि टीवी चैनलों का वितरक का एक जिले में परिचालन हो तो सिगनलों के वियोजन का नोटिस दो स्थानीय समाचारपत्रों में भी दिया जाएगा, जिनमें से कम से कम एक नोटिस

स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में भी दिया जाएगा, और यदि चैनलों का वितरक दो जिलों से ज्यादा में सेवा मुहैया कराता हो तो दो राश्ट्रीय समाचार पत्राों में नोटिस दिया जाएगा । इस विनियम के उपखण्ड 4.1 और 4.2 में उल्लिखित तीन सप्ताह की अवधि, समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाि ात किए जाने या सेवा प्रदाता की नोटिस दिए जाने, के जो भी बाद में हो, से प्रारंभ होगी ।

स्पश्टीकरण

1. *यदि दो समाचार पत्राों में अलग–अलग दिन नोटिस प्रकाि ात किया जाता है तो तीन सप्ताह की अवधि दोनों तारीखों में से बाद की तारीख से प्रारंभ होगी ।*
2. *ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/टीवी चैनलों के वितरक, संबंधित चैनल (चैनलों) पर स्क्रोल चलाकर भी उपभोक्ताओं को सूचित कर सकते हैं । तथापि समाचारपत्राों में नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा ।*

4.4 समाचार पत्राों में दिए जाने वाले नोटिसों में संक्षेप में वियोजन के कारण भी दिए जाने चाहिए । ''

5. समय–समय पर यथा सं ाोधित प्रधान विनियम में वर्तमान खण्ड–7 और उससे संबंधित प्रविश्टियों को खण्ड 14 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।
6. समय'समय पर यथा सं ाोधित प्रधान विनियम के खण्ड 6 तथा ससे संबंधित प्रविश्टियों के बाद निम्नलिखित नए खण्डों और उनसे संबंधित प्रविश्टियों को खण्ड 7 से 13 के रूप में जोड़ा जाएगा ।

''7. फ्री टु एयर चैनल/पे चैनल का रूपान्तरण`

7.1 किसी चैनल अर्थात् फ्री टु एयर अथवा पे चैनल का स्वरूप सामान्य तौर पर एक वर्श की अवधि के लिए समान रहेगा । फ्री टु एयर चैनल का कोई ब्राडकास्टर जो चैनल

को पे चैनल में बदलने के इच्छुक हो या पे चैनल का कोई ब्राडकास्टर जो चैनल को फ्री टु एयर चैनल में बदलने के इच्छुक हो वह, प्राधिकरण को इस बारे में सूचित करेगा तथा इस परिवर्तन की निर्धारित तारीख से एक माह पूर्व खण्ड 4.3 में विनिर्दिश्ट तरीके से सार्वजनिक सूचना देगा ।

8. वर्तमान करारों के नवीकरण की समयावधि

8.1 टीवी चैनलों के सिगनलों की सप्लाई के लिए अंतरसंयोजन करार की पार्टियां, वर्तमान करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम दो महीने पहले वर्तमान करार के नवीकरण के लिए विचार–विम ा प्रारंभ करेंगे ।

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अन्तरसंयोजन करार के नवीकरण का विचार–विम ा, वर्तमान करार की समाप्ति की तारीख से आगे भी जारी रहता है तो वर्तमान करार की भार्तें, नया करार किए जाने तक अथवा मूल करार की समाप्ति से अगले तीन महीने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा । बहरहाल, पार्टियों के बीच करार हो जाने के बाद नई वाणिज्यिक भार्तें, मूल करार की समाप्ति की तारीख से लागू होंगी ।

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पार्टियां आपस में सहमति के आधार पर नया करार करने में समर्थ न हों तो कोई भी पार्टी खण्ड 4.3 में विनिर्दिश्ट तरीके से तीन सप्ताह का नोटिस देकर मूल करार की समाप्ति के बाद टीवी चैनल के सिगनलों को रि–ट्रांसमि ान का वियोजन कर सकता है । मूल करार की वाणिज्यिक भार्तें सिगनलों के वियोजन की तारीख तक लागू होंगी ।

9. पहले करार के समय सब्सकाइबर आधार को अंतिम रूप देना

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर के बीच पहला करार

9.1 गैर एड्रेसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर के बीच पहली बार अन्तरसंयोजन करार निशपादित करते समय, करार की पार्टियां, सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर), जहां ऐसा एसएलआर मौजूद हो के आधार पर केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार को ध्यान में रखेंगी । जहां ऐसा एसएलआर मौजूद न हो, वहां दोनों पार्टियों द्वारा मुहैया कराए गए सब्सक्राइबर आधार पर आपसाी विचार–विम f में इसे तय किया जाएगा । ऐसा करने के लिए समान स्थिति में काम करने वाले केबल ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार तथा स्थानीय सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना को भी इसमें भाामिल किया जाएगा ।

स्पश्टीकरण

सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर), सब्सक्राइबर आधार का पता लगाने के लिए एक संसूचक मात्र है और दोनों पार्टियों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तय सब्सक्राइबर आधार, एसएलआर द्वारा संसूचित संख्या से अधिक या कम हो सकता है ।

<u>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा ब्राडकास्टर के बीच पहला करार</u>

9.2 गैर एड्रेसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर के बीच पहली बार अन्तरसंयोजन करार निशपादित करते समय, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर उन केबल ऑपरेटरों की सूची, उनके सब्सक्राइबर आधार के साथ, प्रदान करेगा जो उसके नेटवर्क से सिगनल प्राप्त करेंगे । मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार के संबंध में विचार–विम f करते समय, करार की पार्टियां, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से सम्बद्ध केबल ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार को भी ध्यान में रखेगी । ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सीधे सेवित करने का प्रस्ताव है, इस विनियम के उपखण्ड 9.1 में निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाएगा ।

10. करार की वैधता के दौरान सब्सकाइबर आधार में अंतर

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर के बीच

10.1 गेर–एड्रेसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के बीच अन्तरसंयोजन करार के निशपादन के समय पार्टियों द्वारा स्वीकृत सब्सकाइबर आधार, करार के दौरान ऐसे आपवादिक परिस्थितियों, जिनमें सब्सकाइबर आधार को बढ़ाना या घटाना आव यक हो, को छोड़कर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । ऐसी स्थिति में, सब्सकाइबर आधार में परिवर्तन करने के इच्छुक सेवा प्रदाता के लिए आव यक है कि वह इसके कारण बताए और प्रस्तावित परिवर्तन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसमें स्थानीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करना भी भाामिल है ।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा ब्राडकास्टर के बीच

10.2 गैर एड्रेसेबल प्रणाली में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर के बीच अंतरसंयोजन करार के निशपादन के समय पार्टियों द्वारा स्वीकृत सब्सकाइबर आधार करार के दौरान ऐसे आपवादिक परिस्थितियों, जिनमें सब्सकाइबर आधार को बढ़ाना या घटाना आव यक हो, को छोड़कर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । ऐसी स्थिति में सब्सकाइबर आधार में परिवव्रन करने के इच्छुक सेवा प्रदाता के लिए यह आव यक है कि वह इसके कारण बताए और प्रस्तावित परिवर्तन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसमें स्थानीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करना है ।

यह भी प्रापवधान है कि केबल ऑपरेटर द्वारा किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को ज्वाइन करने या उसे छोड़ने के कारण किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार में परिवर्तन होने के मामले में यह उपखण्ड लागू नही होगा ।

आगे यह भी प्रावधान है कि यह भी कि किसी केबल ऑपरेटर के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के नेटवर्क को ज्वाइन करने या उसे छोड़ने के कारण किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार, जिसपर ब्राडकास्टर को किए जाने वाला भुगतान आधारित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार, नेटवर्क ज्वाइन करने या छोड़ने वाले, के समान होगा ।

11. करारों के नवीकरण के समय सब्सक्राइबर आधार को अंतिम रूप देना

<u>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के बीच</u>

11.1 गैर एड्रेसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के बीच अंतरसंयोजन करार के नवीकरण के समय, सब्सक्राइबर आधार में सं ाोधन के लिए किए जाने वाले विचार–विम र्ाों में विगत तीन वर्शों के दौरान केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार के साथ–साथ उसी क्षेत्र में जहां केबल ऑपरेटर का परिचालन हो उसके आसपास के क्षेत्रों में परिचालन कर रहे अन्य केबल ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार में वर्तमान अवधि में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

<u>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर</u>

11.2 गैर एड्रेसेबल प्रणाली में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर के बीच अन्तरसंयोजन करार के नवीकरण के समय सब्सक्राइबर आधार में सं ाोधन के लिए विचार–विम र्ा करते समय पिछले तीन वर्शों के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार में हुए परिवर्तनों के साथ–साथ उसे क्षेत्र में जहां मल्टी सिस्टम

ऑपरेटर का परिचालन हो और उसके आसपास के क्षेत्राों में परिचालन कर रहे अन्य मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार में वर्तमान अवधि में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखना होगाा ।

12. मासिक सब्सकाइबर आधार का विवरण

12.1 गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, सब्सक्राइबर आधार के साथ–साथ ऑपरेटरों की अद्यतन सूची मासिक आधार पर ब्राडकास्टरों को प्रस्तुत करेंगे ।

13. संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव

13.1 सभी ब्राडकास्टर इस विनियम के जारी होने के 90 दिनों के भीतर अपने संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ गैर एड्रेसेबल प्रणालियों में अन्तरसंयोजन की तकनीकी तथा वाणिज्यिक भार्तों का उल्लेख होगा । इसे ब्राडकास्टर द्वारा प्रकाि ात किया जाएगा और संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव की भार्तों का मसौदा प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद इसकी एक प्रतिलिपि अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे । ब्राडकास्टर द्वारा इस प्रकार प्रकाि ात संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव इसके बाद निश्पादित किए जाने वाले सभी अन्तरसंयोजन करारों के लिए आधार होगा ।

13.2 प्रकाि ात संदर्भ अन्तरसंयोजन करार में परिवर्तन प्राधिकरण को पूर्व में सूचित करने के बाद ही किया जा सकता है । ब्राडकास्टर द्वारा इस प्रकार प्रकाि ात संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तरसंयोजन करार किया जाएगा । बहरहाल, यह आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा । संबंधित पार्टियां इसमें सं ाोधन कर सकते हैं और/या अलग–अलग करार करने के लिए प्रकाि ात संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव में अनुबंधित भार्तों में जोड़ सकते हैं ।

13.2 यदि खण्ड से किसी कानून विनियम, निर्दे ा या आदे ा का उल्लंघन होता पाया गया तो प्राधिकरण किसी भी समय इसमें हस्तक्षेप कर संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव के खण्ड में सं ोधन करने या उसे हटाने का निर्दे ा जारी कर सकता है ।

7. इस विनियम के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है, जिसमें प्रधान विनियम के सं ोधन करने के कारण दिए गए हैं ।

आदे ाानुसार,

राके ा कक्कड़, सलाहकार (बी एण्ड सीएस–I)

[विज्ञापन–III/IV/142/2006/असा.]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारत मे केबल टीवी, 1990 के द ाक के प्रारंभिक वर्शों में अपने प्रारंभ से ही गैर विनियमित रहा । दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) जारी करके इसे ट्राई द्वारा विनियति करने की माग की गई थी । यह विनियम 10 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया अर्थात् 1–1/2 वर्श से पहले जारी किया गया था । इस अवधि के दौरान कुछ नए मुद्दे सामने आए हैं । इस अवधि के अनुभव से पता चलता है कि अन्तरसंयोजन विनियम से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पश्टीकरण अपेक्षित है । अन्तरसंयोजन विनियमों के कार्यान्वयन के कारण कुछ विवाद तथा मुकदमेबाजी भी हुई । इस प्रकार अन्तरसंयोजन विनियमों को स्पश्ट करने और इसके क्षेत्र का विस्तार करने की आव यकता समझी गई ताकि संदेह की स्थिति कम से कम हो और विवाद/मुकदमेबाजी भी कम हो ।

<u>टीवी चैनल के सिगनलों का वियोजन</u>

2. विनियम में निर्धारित दो नोटिस अवधियों के कारण वि ाश्ट मामलों में लागू नोटिस अवधि के बारे में कई विवाद खड़े हुए । नोटिस की एक अवधि रखकर, इन विवादों से बचा जा सकता है । इसके अलावा, नोटिस की कम अवधि से कोई लाभ नहीं होगा और सिगनलों के वियोजन के लिए नोटिस जारी करने के मामलों में सही कारण दब जाएंगे और उपभोक्ता को सही मुद्दे की जानकारी विवाद के बाद ही होगी । नोटिस की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए ताकि प्रभावित पार्टी, समुचित मंच में जाकर इसपर हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर सके और उपभोक्ताओं को भी अपने हितों को सुनि चत करने के लिए समुचित मंच में इस मुद्दे को उठाने का मौका मिले और उन्हें इस विवाद की वजह से हानि न हो । साथ ही सिगनलों की चोरी के मामलों में किसी भी प्रकार का नोटिस दिए जाने की आव यकता नहीं है ।

3. इसके अतिरिक्ते यदि टीवी चैनलों के वितरक, ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ किसी विवाद के कारण किसी खास चैनल के सिगनल स्विच ऑफ करने का निर्णय करें तो उपभोक्ताओं के साथ–साथ ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । तदनुसार उनके हितों की रक्षा के लिए आव यक है कि टीवी चैनल के सिगनलों के वियोजन के बारे में उन्हें भी इसी प्रकार का अग्रिम नोटिस प्रापत हो । अतः सिगनलों के वियोजन के बारे में अग्रिम नोटिस देने की आव यकता में टीवी चैनलों के वितरकों को भी भाामिल किया गया है ।

4. सार्वजनिक नोटिस जारी करने का प्रयोजन उपभोक्ताओं को इस मुद्दे को समुचित मंच में उठाने का मौका देना है ताकि यह सुनि चत हो सके कि ऐसे विवाद की वजह से जिससे उनका लेना देना नहीं है, उन्हें कोई हानि न हो । बहरहाल, यदि सेवा प्रदाताओं को नोटिस देते समय सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की जाती है और इसे काफी बाद में जारी किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को इस मुद्दे को समुचित मंच से उठाने के लिए बहुत कम समय मिलता है तो इसका प्रयोजन ही निश्फल हो जाता है । तदनुसार यह आव यक है कि उपभोक्ताओं को नोटिस, इस अवधि के प्रारंभ होने से पहले ही प्राप्त हो । यह देखते हुए कि केबल टीवी दे ा के दूरस्थ भागों तक पहुंच गयाा है इसलिए नोटिस की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए ताकि प्रभावित पार्टियां इस मुद्दे को समुचित मंच से उठा सकें ।

5. दे ा में दे ाी भाशाओं के समाचारपत्रों की पहुंच, अंग्रेजी भाशा के समाचारपत्रों से ज्यादा है । ज्यादा से ज्यादा कवरेज के लिए यह आव यक है कि सार्वजनिक सूचना को स्थानीय भाशा के समाचारपत्र के स्थानीय भाशा में प्रका ात किया जाना चाहिए ।

6. संबंधित सेवा प्रदाता को दिए जाने वाले नोटिस में सेवा प्रदाता को प्रस्तावित वियोजन के कारण स्पश्ट सूचित किया जाना चाहिए । नोटिस जारी करने का कारण

करार का उल्लंघन है बताने के बजाय नोटिस में करार की उन भार्तों का उल्लेख होना चाहिए जिनका कथित तौर पर उल्लंघन हुआ हो और इस प्रकार के उल्लंघन का ब्यौरा दिया जाना चाहिए । ऐसा करना इसलिए आव यक है जिससे विवाद के नि चत कारणों का पता लग सके ताकि प्रभावित पार्टी या तो उल्लंघन के मामले ठीक कर सके या इस मुद्दे के समाधान के लिए इसे समुचित मंच पर उठा सके । इसी प्रकार सार्वजनिक नोटिस में प्रस्तावित वियोजन के कारण संक्षेप में दिए जाने चाहिए ।

सामग्री अभिगम

7. सिगनल के लिए किए गए अनुरोध पर कार्रवाई करने की समय–सीमा निर्धारित करने का प्रयोजन ही निश्फल हो जाता है यदि सिगनल के लिए अनुरोध करने वाले टीवी चैनलों के वितरक के अनुरोध को समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अपने एजेंट/मध्यस्थ को या ऐसे एजेंट/मध्यस्थ द्वारा ब्राडकास्टर/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को भेज दिया जाता है और समय सीमा नए सिरे से भाुरू कर दी जाती है । इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता के लिए यह आसान है कि वह समय–सीमा समाप्त होने से पहले कुछ ब्यौरा मांग कर अनुरोध पर कुछ कार्रवाई भाुरू कर दे और तत्प चात् पूरक ब्यौरे मांग कर इस प्रक्रिया को ज्यादा समय तक खींच ले । अतः एक ऐसी समय–सीमा निर्धारित करना आव यक है जिसमें या तो टीवी चैनलों के वितरकों को सिगनल मुहैया कराए जाएंगे या उसे वे वि ाश्ट भार्तें सूचित की जाएंगी, जिन्हें पूरा करने पर सिगनल मुहैया किए जाएंगे ।

ब्राडकास्टर के एजेंट के रूप में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर

8. सी टीवी नेटवर्क लि0 के मामले में टीडीसैट के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है । अतः प्राधिकरण के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह इस बारे में कोई विनियम बनाए । इस प्रकार विनियम में किसी एमएसओ को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी ब्राडकास्टर के एजेंट के रूप में नियुक्त करने की मनाही होगी या नहीं और इससे संबद्ध मामले, इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अन्ततः निर्भर

करेंगे । अतः प्राधिकरण ने इस संबंध में आगे कार्रवाई न करने और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है, जो सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा ।

भुगतान में चूक

9. जब वे बकाया देय रा ि ा का भुगतान करने में समर्थ न हों या भुगतान करने में अनिच्छुक हों तो कभी–कभी एलसीओ अपने सम्बद्ध एमएसओ को बदल देते हैं । इसके परिणामस्वरूप उनके संबद्ध एमएसओ के लिए यह डूबा ऋण हो जाता है और एमएसओ, एलसीओ के भाग की देय रा ि ा को ब्राडकास्टर को भुगतान करने में असमर्थ रहता है । ब्राडकास्टर भी ऐसे एमएसओ, जिससे ऐसा दोशी एलसीओ सम्बद्ध होता है, इस प्रकार की देय रा ि ा वसूल करने में समर्थ नहीं होते । दूसरी ओर बीजक नियमित तौर पर जारी न किए जाने पर एलसीको को अचानक पता चलता है कि उनका भारी बकाया देय है, जिसका भुगतान करने का उनके पास कोई साधन नहीं है । इस समस्या का समाधान यह सुनि िचत करके किया जा सकता है कि एलसीओएस को मासिक आधार पर बीजक जारी किए जाएं जिनमें बकाया रा ि ा तथा वर्तमान देय रा ि ा स्पश्टतः द ार्यी जाए । ऐसी स्थिति में जब कोई एलसीओ किसी नए एमएसओएस के साथ सम्बद्ध होना चाहे तो तब नवीनतम बीजक में स्पश्टतः द ार्या गया होगा कि एलसीओ पर कितनी रा ि ा बकाया है । साथ ही इससे एलसीओ का भी अप्रत्या ि ात, अक्समात् बकाए के भुगतान से बचाव होगाा ।

परिचालन का क्षेत्र और सब्सकाइबर आधार

10. सब्सक्राइबर आधार भाब्द, एड्रेसेबिलिटी की अनुपस्थिति में अस्पश्ट है, क्योंकि गैर–कैस क्षेत्राों में किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कितने सब्सक्राइबरों को सेवा मुहैया कराई जा रही है, इसकी वास्तविक संख्या जांच पाना असंभव है । अतः करार वास्तविक सब्सक्राइबर आधार के अनुसार करना संभव नहीं है । अतः अन्तरसंयोजन करार के लिए सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए विचार–विम र्ा पूर्णतः टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा सेवित किए जाने वाले क्षेत्र पर आधारित होता है । बहरहाल, सब्सक्राइबरों की वास्तविक संख्या सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस), जहां एड्रेसेबल प्रणाली मुहैया कराई गई होती है, द्वारा पता लगती है । अतः ऐसी स्थिति में एसएमएस द्वारा ही

सब्सक्राइबर आधार का वास्तविक पता चलता है । जैसाकि ऊपर पैरा–8 में उल्लेख किया गया है, सी टीवी नेटवर्क लिमिटेड के मामले में टीडीसैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा केबल ऑपरेटर और एमएसओ के सब्सक्राइबर आधार के निर्धारण से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील में उठाया गया है । बहरहाल, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02 मार्च, 2006 के अंतरिम आदे ा में प्राधिकरण को टीवी चैनलों के वितरकों को सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया को भुारू करने की वि ोश रूप से अनुमति प्रदान की है । उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि –

"........ इसके अलावाा यदि वे ऐसा करना चाहें इन मामलों का लंबित रहना केन्द्र सरकार द्वारा कैस लागू करने के मार्ग में कोई रूकावट नहीं है और यदि ट्राई टीवी चैनलों के प्रत्येक वितरक के सब्सक्राइबरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली विकसित करना चाहती है तो वह ऐसा कर साकती है । .... "

माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विचार के दृश्टिगत प्राधिकरण ने टीवी चैनलों के प्रतयेक वितरक के सब्सक्राइबरों के सही संख्या का पता लगाने तथा उसका निर्धारण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का कार्य भुारू किया है ।

टीवी चैनलों के प्रसारण तथा वितरण से संबंधित प्राधिकरण ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 की अपनी सिफारि ाों में यह माना है कि धीरे–धीरे एड्रेसेबिलिटी की तरफ बढ़ना आव यक है तथा इसे पूरे दे ा में तुरंत लागू नहीं किया जा सकता । इन सिफारि ाों में, प्राधिकरण ने केबल ऑपरेटरों तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा सब्सक्राइबरों का रजिस्टर रखे जाने की सिफारि ा की थी । प्राधिकरण ने यह सिफारि ा दी थी कि:–

> *"......... सभी केबल ऑपरेटर तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर सब्सक्राइबरों का एक रजिस्ट्रर रखेंगे जिसमें सब्सक्राइबरों के नाम, पते, प्रभारित किया जाने वाला मासिक*

शुल्क तथा उनके द्वारा लिए गए चैनलों की संख्या का विवरण होगा । जब कभी प्राधिकृत अधिकारी यह देखने के लिए कि किसी विनियम का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है इसकी जांच करने के लिए निरीक्षण करना चाहे तो इस रजिस्टर को उसके समक्ष, निरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा ..... ''

एड्रेसेबिलिटी तथा सब्सक्राइबरों के रजिस्टर की अनुपस्थिति में, टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों के सब्सक्राइबरों की संख्या का पता लगाना कठिन है । इस बाध्यता के बावजूद, प्राधिकरण ने टीवी चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए एक तरीका मुहैया कराया है ।

11. क्षेत्र का विस्तार होने पर विवाद उतपन्न होने का मुख्य कारण यह है कि एड्रेसेबिलिटी के बिना, वास्तविक सब्सक्राइबर आधार का पता लगाना असंभव है तथा सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर किया जाता है । परिचालन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सब्सक्राइबर आधार के संबंध में की जाने वाली वार्ता से सीधा संबंध है । बहरहाल, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मौजूदा परिचालन क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहे किसी केबल ऑपरेटर को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा फीड करने का कार्य सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर) पर आधारित समझौता शर्तों के आधार पर किया जा सकता है । इसी प्रकार, केबल ऑपरेटर का परिचालन क्षेत्र का विस्तार भी सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर) पर प्रतिबिम्बित होगा ।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर

12. ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल प्राप्त करने पर बहुत छोटे सब्सक्राइबर आधार के टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या से संबंधित विवादों को टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के परिचालन क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करके कम किया जा सकता है तथा उससे कम संख्या होने पर कोई भी ऑपरेटर ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त नहीं कर सकेगा । बहरहाल, इस आंकड़े का दे ा के विभिन्न भागों में सबसे छोटे

सब्सक्राइबर आधार वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सेवित सब्सक्राइबरों की संख्या के संबंध में ब्राडकास्टरों के लिए नगर वार डाटा का विस्तृत वि लेशण करने के उपरांत ही अधिसूचित किया जा सकता है । इस समय, प्राधिकरण द्वारा ऐसी संख्या का निर्धारण करना संभव नहीं है प्राधिकरण द्वारा संबंधित डाटा का वि लेशण करने के बाद, यदि संभव हुआ, तो उसका निर्धारण बाद में किया जाएगा ।

करारों का नवीकरण

13. करारों का नवीकरण अधिकां ा मामलों में आसानी से हो जाता है, लेकिन समस्या तब आती है, जब नवीकरण के लिए समझौता–वार्ता मूल करार की समाप्ति के बाद भी जारी रहती है । मूल करार की तारीख बीत जाने के उपरांत सिगनल जारी रखने से संबंधित भार्तों को भाासित करके के लिए मूल करार तब तक जारी रखा जा सकता, जबतक कि नवीकरण से संबंधित भार्तों पर कोई करार नही हो जाता । बहरहाल, ध्यान रहे कि नई वाणिज्यिक भार्तें मूल करार की समाप्ति की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी । बहरहाल, यदि कोई करार नही हो पाता, तो इन विनियमों के विनियम–4 में किए गए उल्लेख के अनुसार सांविधिक नोटिस देकर कोई भी पार्टी सिगनल वियोजित कर सकती है । मूल करार की भार्तें सिगनल वियोजित किए जाने की तारीख तक दोनों पार्टियों के लिए लागू होंगी । यह वि वास किया जाता है कि पुराने 'करार'की समाप्ति के तीन माह के भीतर (समझौता वार्ता के पांच माह के प चात) पार्टियां नया करार कर लेंगी । बहरहाल, यदि इस अवधि के प चात् भी समझौता–वार्ता जारी रहती है, तो भार्तों के संबंध में कुछ नई अंतरिम व्यवस्था पार्टियों के बीच तय होनी चाहिए तथा पुराने करार भार्तें इस अवधि के बाद स्वतः आगे जारी नही रहेंगी ।

पे/फ्री टु एयर चैनल का रूपांतरण

14. किसी भी चैनल की प्रकृति अर्थात् फ्री टु एयर पे–चैनल में बार–बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए तथा सामान्यतः यह एक वर्श की अवधि तक समान रहना चाहिए । वे

ब्राडकास्टर जो अपने फ्री टु एयर चैनलों को पे–चैनल या पे चैनलों को फ्री टु एयर चैनल में बदलना चाहते सहैं, उन्हें प्राधिकरण तथा आम–जनता को इस बारे में अग्रिम नोटिस देना चाहिए । कैस क्षेत्रों में ऐसा करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को अपनी सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में आव यक परिवर्तन करना होगा । गैर–कैस क्षेत्रों के संदर्भ में, इसके केबल सेवाओं के भुगतान में होने वाले संभावित परिवर्तनों तथा चैनलों की संभावित अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया जाएगा ।

संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव

15. दिनांक 12 जुलाई, 2002 के ''दूरसंचार अन्तरसंयोजन (संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव) विनियम'' के समान संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव पर एक विनियम जारी करने की विभिन्न वर्गों द्वारा मांग की गई है । इससे ब्राडकास्टरों को ऐसे संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव का मसौदा इस प्रकार तैयार करने की सुविधा प्राप्त होती है जिसमें उनके सरोकारों को ध्यान में रखा गया हो । प्राधिकरण द्वारा संभावित हस्तक्षेप का प्रावधान यह सुनि चत करने के लिए किया गया है कि संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव से किसी कानून का उल्लंघन नही किया गया है । जिस प्रकार से ब्राडकास्टरों द्वारा मानक करार कर मसौदा तैयार किया गया है, इससे मुकदमेबाजी में कमी होगी । सेवा प्रदाता पारस्परिक करार से ऐसे आरआईओ के उपबंधों की विचलन कर सकते हैं । यह सेवा प्रदाताओं को वि ोश वाणिज्यिक परिस्थितियां, जो कि किसी क्षेत्र या करार वि ोश में उपलब्ध हो सकती है, को ध्यान में रखते हुए लचीलापन अपनाने की सुविधा–प्रदान करता है । एमएसओ के लिए ऐसे भी आरआईओ का होना भी वांछनीय है । बहरहाल, ऐसे एमएसओ की बड़ी संख्या को देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को करना व्यावहारिक नहीं है ।

अंतिम चरण (लास्ट माइल) में एकाधिकार

16. अंतिम चरण (लास्ट माइल) में एकाधिकार के मुद्दे का समाधान डीटीएच और आईपीटीवी जैसे नए प्लेटफार्मों के कारण सवंर्धित प्रतिस्पर्धा के द्वारा काफी हद तक हो जाने की संभावना है । दो डीटीएच सेवा प्रदाता पहले से ही अपने सेवा दे रहे हैं तथा दे ा में आईपीटीवी सेवा भी निकट भविश्य में भुारू होने की संभावना है । अतः, इस समय, प्राधिकरण में नए प्लेटफार्मों से होने वाली प्रतिस्पर्धा की प्रगति पर नजर रखने का निर्णय लिया है तथा यदि आव यक होगा तो बाद में इस पर हस्तक्षेप किया जाएगा ।

कैरिएज भुाल्क विनियम

17. कैरिएज भुाल्क विनियमन का सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा भारतीय केबल ऑपरेटर फैडरे ान द्वारा विरोध किया गया है । यह सुझााव दिया गया है कि इस प्रकार के विनियम से विवादों में बढोतरी होगी । वर्तमान परिस्थितियों में कैरिएज भुाल्क का विनियमन करना बहुत कठिन है क्योंकि इससे स्थिति (पोजी ानिंग) का भी विनियमन करना होगा । दे ा के विभिन्न भागों में द किों की पसंद के विभिन्न पैटर्न हैं । केबल नेटवर्क की क्षमता भी काफी भिन्न–भिन्न होती है । अतः कैरिएज भुाल्क का स्तर भी मांग तथा आपूर्ति के अंतर के आधार पर दे ा के भिन्न–भिन्न भागों में भिन्न–भिन्न होता है ।

इस समय, 6000 से अधिक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं जो विभिन्न प्रकार की लेखा पद्धतियों का अनुसरण करते हैं । कैरिएज की अदायगी प्रायः नकद या किसी अन्य प्रकार से की जाती है । अतः कैरिएज भुाल्क के रूप में वास्तविक भुगतान का पता लगाना संभव नहीं है । कैरिएज भुाल्क एक अस्थाई प्रक्रिया है तथा डिजीटल केबल प्रणाली भुारू होने पर इसके समाप्त हो जाने की संभावना है ।

01 अक्तूबर, 2004 को टीवी चैनलों का प्रसारण तथा वितरण संबंधी मुद्दों पर दी गई अपनी सिफारि ों में भी प्राधिकरण द्वारा कैरिएज भुल्क के मुद्दे की जांच की गई थी, जिसमें प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि:–

''6.5 निरपवाद रूप से प्रसारित किए जाने वाले टीवी चैनल'' के मुद्दे के संबंध में एनालॉग मोड में सिगनल वहन करने में क्षमता की तंगी तथा केबल स्पेक्ट्रम पर स्पेस के लिए प्रतिस्पर्धा के परिणामों के मौजूदा परिदृ य को ध्यान में रखा गया है । चूंकि डिजटलीकरण एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, अतः केबल अधिनियम और नियमों में उपलब्ध मौजूदा 'आव यकमेव निर्वहनीय दायित्वों (मास्ट कैरी ऑबलिगे न्ज) के अतिरिक्त इस विशय पर नया विनियम बनाने को कोई प्रस्ताव नहीं है । जब भी क्षमता में संवर्धन होगा, 'अव य 'निर्वहनीय' विनियम लागू किया जाएगा । अतः इस समय कैरिएज प्रभारों पर कोई विनियम नहीं होगा । '''

दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को केबल टीवी के डिजटलीकरण की अपनी सिफारि ों में, प्राधिकरण ने यह सिफारि । की थी कि एक निर्धारित तिथि में बाद डिजटलीकरण सेवाएं मुहैया कराने के लिए लाइसेंस प्रणाली भारू की जानी चाहिए । यह भी सिफारि । की गई थी कि डिजीटल सेवाओं के लिए लाइसेंस में मौजूदा डीटीएच लाइसेंस की भार्तों के आधार पर चैनलों के भेदभाव रहित प्रसारण की ही व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि लाइसेंसधारी विभिन्न कटेंट प्रोवाइटरों/चैनलों को बिना किसी भेदभाव के एक्सेस मुहैया कराएगा ।

मसौदा विनियम पर परामर्श

18. प्राधिकरण ने 21 मार्च, 2006 को एक पराम र्श नोट जारी करके संबंधित मुद्दों के जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की ताकि उन पर चर्चा करने के लिए आव यक दस्तावेज प्राप्त किए जा सके । इसके प चात् 21 मार्च, 2006 के पराम र्श नोट कर स्टेकहोल्डरों की

टिप्पणियों तथा विचारों को ध्यान में रखते हुए एक पराम र्ा पत्र तैयार किया गया । दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004 से संबंधित मुद्दों को भी भाामिल किया गया । इस पराम र्ा पत्र को 11 मई, 2006 को जारी किया गया । इस पर अनेकों टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं तथा उनका ध्यानपूर्वक वि लेशण किया गया है । चूंकि टिप्पणियों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए इन टिप्पणियों के सार को इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ अनुबंध में खण्ड दर खण्ड आधार संक्षेप में तैयार किया गया है । मुंबई में 16 जून, 2006 को तथा दिल्ली में 19 जून, 2006 को ओपन हाउस चर्चा भी की गई । किसी भी निश्कर्श पर पहुंचने से पूर्व इन सभी टिप्पणियों तथा ओपन हाउस चर्चा भी की गई । किसी भी निश्कर्श पर पहुंचने से पूर्व न सभी टिप्पणियों तथा ओपन हाउस चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, जैसाकि विनियमों में किए गए सं ाोधनों से स्पश्ट है ।

''दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006'' के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध

ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में परामर्श पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों का सार

उन स्टेकहोल्डरों की विशय–सूची, जिन्होंने टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं ।

कम सं0	नाम	स्थान
1.	कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) –केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक	मुंबई
2.	स्टार इंडिया प्रा0 लि0 (स्टार)	नई दिल्ली
3.	यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी)	वाशिंगटन, यूएसए
4.	मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन (एमसीए)	सिंगापुर
5.	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा0 लि0 (ईएसपीएन)	गुड़गांव, हरियाणा
6.	आरटेल कम्यूनिकेशन्स लि0 (आरटेल)	उड़ीसा
7.	श्री आलोक सहल, बीएनबी केबल्स (बीएनबी केबल्स)	कोलकाता
8.	एएससी इन्टरप्राइजेज लि0 (एएससी)	नौएडा
9.	सिटी केबल नेटवर्क लि0 (सिटी केबल)	नई दिल्ली
10.	इंडसइंड मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन लि0 (आईएमसीएल)	मुंबई
11.	हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्रा0 लि0 (हैथवे)	मुंबई
12	केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (कोफी)	नई दिल्ली

परामर्श के लिए मुद्दा

मौजूद विनियमों में संशोधन

दो नोटिस की अवधियां

- **क्या सिगनलों को डिस्कनेट करने से पूर्व टीवी चैनलों के किसी वितरक को नोटिस देने के लिए केवल एक नोटिस अवधि होनी चाहिए ?**
- **यदि हॉ, तो नोटिस अवधि क्या होनी चाहिए तथा क्या यह अप्राधिकृत रि–ट्रांसमिशन/पाइरेसी के मामलों में भी लागू होनी चाहिए ?**
- **यदि नहीं, तो उन विवादों से बचने के लिए क्या विनियम में परिवर्तन किया जाए कि कौन सी नोटिस अवधि लागू होगी, विशेशकर, अप्राधिकृत वितरण को कैसे परिभाशित किया जाना चाहिए ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. नोटिस अवधि केवल एक होनी चाहिए तथा वितरकों के अपने नेटवर्कों पर ऐसे नोटिसों की स्कोलिंग के अलावा ब्रॉडकास्टरों के न्यूज चैनलों पर स्कोल किया जाना चाहिए । अप्राधिकृत रिट्रांसमि ान पायरेसी का यदि पता चलता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि अप्राधिकृत वितरक की सहमति से ऐसा कभी नहीं हो सकता । यदि एक नोटिस अवधि ही होगी तो विवाद उत्पन्न नहीं होंगे । यदि नेटवर्क में ऐसे सिगनल का पता चलता है जो वितरक के नेटवर्क के संबंधित नही है तो ऐसे वितरण को अप्राधिकृत माना जाएगा । (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत) केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरक के लिए केवल एक नोटिस अवधि होनी चाहिए । टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरक के सिगनलों को डिस्कनेक्ट करने के लिए नोटिस अवधि । (भुगतान न करने के दोशी हाने के मामले सहित) एक सप्ताह की होनी चाहिए । टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक को डिस्कनेक ान करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी जानी चाहिए तथा उनके सिगनलों को बिना किसी नोटिस के तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए । यह सुझाव है कि ''टीवी चैनलों क अप्राधिकृत वितरक'' को परिभाशित किया जाए तथा इस विनियम के खंड 4.1 में ''टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक'' के रूप में

सं ोधित किया जाए जिसका अर्थ है ट्राई विनियमों के अनुसार, टीवी चैनलों का कोई वितरक, जो करार को रिन्यू करने में असमर्थ रहता है और/अथवा निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई करता है । ऐसी कार्रवाई करने के लिए दुश्प्रेरित करना है जैसे करार में संचालन क्षेत्र से आगे सेवाएं मुहैया करता है, पूर्वलिखित प्राधिकार के बिना नए ऑपरेटरों को कनेक्ट करता है (करार में विनिर्दिश्ट ऑपरेटरों के अलावा); सिगनलों को ब्लॉक, आ ोधित या क्षति पहुंचाता है या फीड में कोई अन्य ओवर–ले जोड़ता है; पूर्व लिखित सहमति के बिना विशय–वस्तु टेप करता है और/या रिप्रोडयूस करता है; तथा पूर्व लिखित सहमति के बिना संस्थापन पते से आईआरडी हटाता । विनियम के खंड 4.1 को ''कोई भी ब्राडकास्टर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रस्तावित कार्रवाई के संक्षिप्त कारणों को विनिर्दिश्ट करते हुए एक सप्ताह का नोअिस किए बिना टीवी चैनलों के किसी वितरक के टीवी चैनलों को डिसकनेक्ट नहीं करेगा के रूप में सं ोधित किया जाए । ब र्ते कि टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक के मामले में, नोटिस अवधि ऐसी कार्रवाई के लिए टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक को कारण बताते हुए दो कार्य दिवस होंगे ! '' (स्टार)

3. सिगनलों के डिस्कनेक ान की नोटिस अवधियों की कोई भी चर्चा टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरकों के संबंध में ही लागू होनी चाहिए । ट्राई को उन विभिन्न माध्यमों, जहां स्वीकृति के बिना सिगनल प्राप्त किए जाते हैं तथा इस्तेमाल के लिए लगाए जाते हैं, को पकड़ने के लिए ''टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक'' की अपनी परिभाशा को और स्पश्ट करना चाहिए । टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरकों के लिए जिनके लिए वितरण करार की समाप्ति मांगी जाती है, उनकी नोटिस अवधि ब्राडकास्टर तथा ऑपरेटर के बीच संविदात्मक मामला होना चाहिए । पूरे वि व में अन्य बाजारों में विद्यमान मानदंडों के अनुसार, ट्राई को अपेक्षाकृत कम अंतर्वेधी विनियामक उपाय पर विचार करना चाहिए । (यूएसआई बोसी)

4. मौजूदा स्कीम 30 दिन की नोटिस अवधि पर परिकल्पित है । बहरहाल, ब्राडकास्टर लागत का भुगतान करके विशय वस्तु की सृजन करते हैं इसलिए उसमें अपनी लागत जोड़कर अपने सिगनल ब्राडकास्ट करते हैं तथा केबल ऑपरेटरों को सिगनल मुहैया कराते हैं । केबल ऑपरेटरों का भुगतान दायित्व महीने की पहली तारीख को सिगनल प्राप्त करने

के 30 वें दिन से आरंभ होता है । इस प्रकार, मौजूदा संविदात्मक व्यवस्था के भाग के रूप में उनके पास 30 दिन का नोटिस पहले से होता है । इसे देखते हुए, इस नोटिस अवधि की समीक्षा किए जाने की आव यकता है । प्रस्तावित कैस क्षेत्रों में तथा गैर–कैस क्षेत्राों में अलग–अलग अवधि होनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियों क्रम ाः एड्रेसेबल तथा गैर–कैस एड्रेसेबल होती हैं । (एमपीए)

5. विनियम में परिवर्तन किए जाने की आव यकता है ताकि ऐसे विवादों से बचा जा सके (क) दोनों पार्टियों के बीच किसी मौखिक करारों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए; (ख) अप्राधिकृत/रि–ट्रांसमि ान को प्रमोट करने वाले केबल ऑपरेटरों/एमएसओ को कोई नोटिस, अवधि देने की आव यकता नहीं होनी चाहिए तथा (ग) कोई अन्य विवाद होने पर, केवल एक नोटिस अवधि होनी चाहिए जिसे स्पश्ट तौर पर परिभाशित किया जाना चाहिए । (ईएसपीएन)

6. टीवी चैनलों के वितरकों को सिगनलों की डिस्कनेक ान से पूर्व केवल एक नोटिस अवधि दी जानी चाहिए । नोटिस अवधि कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए तथा यह अप्राधिकृत रि–ट्रांसमि ान/पायरेसी के मामलों में भी लागू होनी चाहिए क्योंकि यदि नोटिस अवधि कुछ दिनों की होगी, जैसा कि अभी है, तो इससे ग्राहकों, जिनका अपना कोई दोश नहीं हे, को ही परे ाानी उठानी पड़ेगी । (बीएनबी केबल्स)

7. अलग–अलग कारणों के लिए अलग–अलग नोटिस अवधियों की आव यकता होती है । ये कारण इन से जुड़े हो सकते हैं । 1) वाणिज्यिक कारण भुगतान न करना, बकाया, आदि, ऐसे स्थानों पर जहां प्रवे ा भुल्क (2 बड़ी खेलकूद की स्पर्धा के मामले में) बढ़ाने के लिए वे चाहते हैं कि वहां के लोग इसे न देखें सिगनल उपलब्ध कराना इन मामलों में 30 दिन का नोटिस लोगू होना चाहिए; 2) सिगनलों की पायरेसी; अप्राधिकृत डिकोडरों का

इस्तेमाल करके केबल नेटवर्क पर रि–डिस्ट्रीब्यू ान करना तथा 3) सिगनलों के डिक्रिप ान के लिए मुहैया कराए गए उपकरण का दुरूपयोग, अप्राधिकृत सेवा से अधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्ड स्पलिटरें का इस्तेमाल करना । मौजूदा विनियमों में वाणिज्यिक कारणों के कारण सिगनलों की डिस्कनेक ान के लिए एक माह की अवधि निर्धारित है । जबकि पायरेसी के लिए यह 2 दिन है । अतः यह उचित है क्योंकि एक माह से अधिक पायरेसी को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे डीटीएच जैसे प्रतिस्पर्धी नेटवर्क को कम आंके जाने के साथ–साथ ही अत्यधिक राजस्व की हानि होगी । किसी केबल नेटवर्क पर डीटीएच/आईपीटीवी डिकोडर के इस्तेमाल का एक उदाहरण दिया जा सकता है । डीटीएच/आईपीटीवी डिकोडर के इस्तेमाल का एक उदाहरण दिया जा सकता है । डीटीएच के मामले में मोबिलिटी का मामला ऐसे मामलों में अधिक संवेदन ील होगा तथा डीटीएच सेवा प्रदाता पायरेसी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही मिनटों में एयर पर डिकोडर को स्विच ऑफ करके तेजी से कार्रवाई कर सकता है । फिगर प्रिटिंग तंत्र साधारण तकनीक है । अप्राधिकृत वितरण की परिभाशा में अन्य बातों के साथ–साथ किसी क्रास सेवा उपकरण (जैसे केबल प्लांट पर आईपीटीवी या डीटीएच बॉक्स) का इस्तेमाल करना भाामिल है; किसी कार्ड स्पिलिटर्स का इस्तेमाल करना जिसके द्वारा किसी डिकोडर को मल्टी चैनलों को डिलीवर करने के लिए विकृत किया जाता है; अनुबंधित किसी नेटवर्क के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क से, पूर्व सहमति के बिना सिगनलों को जोड़ना तथा उन पते, क्षेत्र या स्थान जहां वह ऑपरेटर करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, में डिकोडरों को ट्रांसपोर्ट करना भाामिल है । (एएससी)

8. दो नोटिस अवधि देने की मौजूदा व्यवस्था – पहली भुगतान में कथित चूक होने के लिए तथा दूसरे पायरेसी के लिए जारी रहनी चाहिए । बहरहाल, पायरेसी के मामले में इस समय यथा निर्धारित 2 दिन की नोटिस बहुत कम है । कथित पायरेसी के मामले में नोटिस अवधि मौजूदा 2 दिन से बढ़कर कम से कम 7 दिन की जाए ताकि दुश्प्रेरित तथा बेवजह की नोटिसों के मामले में चैनल के वितरक डीटीसैट से राहत प्राप्त कर सके । पायरेसी को इस प्रकार परिभाशित किया जा सकता हैः जहां चैनलों का कोई डिस्ट्रीब्यूटर

किसी ऐसे डिकोडर से सिगनलों को वितरित करता है, जो अप्राधिकृत हो अर्थात् इस बारे में चैनलों के वितरक की ब्राडकास्टरों के साथ कोई व्यवस्था नहीं हुई है और वह चैनलों के किसी अप्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर (एमएसओ/ऑपरेटर) से फीड नहीं ले रहा है तथा जहां चैनलों का कोई डिस्ट्रीब्यूटर को किसी विवाद के कारण ब्राडकास्टर द्वारा स्विच ऑफ कर दिया है तथा वह चैनलों को डिस्ट्रीब्यूटर ब्राडकास्टर/किसी अन्य एमसीओ से कोई व्यवस्था किए बिना उन सेवा क्षेत्रों में सिगनल वितरित कर रहा हो, केवल ऐसे मामलों में ही 7 दिन का नोटिस लागू होना चाहिए तथा अन्य सभी मामलों में ब्राडकास्टरों द्वरा 30 दिन का नोटिस अव य दिया जाना चाहिए । विकल्प के तौर पर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि पायरेसी की सूचना स्पश्ट रूप से 2 कार्य दिवस पहले दी चाहिए ताकि प्रभावित पार्टी टीडीसैट के राहत प्राप्त कर सके । इन संदर्भ में कार्य दिवस परिभाशित किए जाने चाहिए ताकि इनका अर्थ टीडीसैट तथा ट्राई द्वारा कार्य किए जाने वाले दिवस हो और भानिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवका ा वि ोश रूप से भाामिल नहीं किए जाने चाहिए । (सिटी केबल)

9. केवल 30 दिन का नोटिस अवधि – होना चाहिए और या सभी मामलों में लागू होना चाहिए (इसे अप्राधिकृत वितरण नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसके मामले में कोई नोटिस अपेक्षित नहीं है) उस व्यक्ति/पार्टी, जिसने करार पर हस्ताक्षर किए हैं या जिसने ब्राडकास्टरों को भुगतान किया है, को अप्राधिकृत वितरण का दोशी नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह किसी ब्राडकास्टर का लाइसेंसधारी/ प्राधिकृत वितरक होता है क्या क्षेत्र से बाहर का वितरण एक वाणिज्यिक विवाद है जो करार से उत्पन्न होते हैं जिसके लिए विवाद निपटान प्राधिकरण (टीडीसैट) अंतिम प्राधिकरण है । ब्राडकास्टरों के एमएसाओ से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइबरों की संख्या पर वाणिज्यिक विवाद का उपयोग कर रहे हैं । ऐसे विवादों के लिए ब्राडकास्टरों द्वारा एक पक्षीय माध्यस्थ निर्णय लेने के बजाए टेलीकॉम अधिकरण का निर्णय प्राप्त करना चाहिए । अप्राधिकृत वितरण को दो भागों में परिभाशित किया जाना चाहिएः (i) यदि ब्राडकास्टर द्वारा अपने प्राधिकृत आईआरडी के लिए किसी एमएसओ को स्विच ऑफ कर देता है परन्तु वह किसी अन्य

एमएसओ/आईसीओ के माध्यम से किसी वि ोश ब्राडकास्टर के सिगनलों को उनमें से किसी की भी लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ट्रांसमिट करता है और (ii) कोई व्यक्ति, जो ब्राडकास्टर से सीधे या किसी एक एमएसओ/केबल ऑपरेटर के माध्यम से कोई व्यवस्था किए बिना ब्राडकास्टरों के सिगनलों का वितरण करता है । (आईएमसीएल)

10. दो नोटिस की अवधियों की वर्तमान व्यवस्था उचित है क्योंकि ऐसे कई निर्णय है जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अन्तरसंयोजन विनियम से उत्पन्न हुए हैं । किसी विनियम तथा व्यवस्था में सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए ताकि किसी भ्रम से बचा जा सके । टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरण के लिए दो दिन की नोटिस अवधि पर प्राधिकरण द्वारा स्पशटीकरण दिए जाने की आव यकता है । नोटिस दो कार्य दिवस का होना चाहिए जिसमें प्रिंट में प्रका ान की तारीख/टीवी चैनलों पर स्क्रोल को छोड़कर तथा उस तारीख को छोड़कर जो सार्वजनिक अवका ा/ ानिवार/रविवार को पड़ते हैं, ताकि उस व्यक्ति/उद्यम, जो डिस्कनेक ान/कथित पायरेसी की कार्रवाई से प्रभावित है, को प्राधिकारी अधिकरण के सम्मुख अपना पक्ष रखने का समय मिल सके । (हैथवे)

11. 30 दिन की केवल एक नोटिस अवधि ही होनी चाहिए तथा यह सभी मामलों में लागू होनी चाहिए । ''अप्राधिकृत वितरण'' के लिए कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होना चाहिए यदि उस पार्टी के साथ कोई पूर्व व्यवसाय न हो । उस व्यक्ति/पार्टी, जिसने किसी करार में हस्ताक्षर किए हैं या ब्राडकास्टर को भुगतान किया है, को अप्राधिकृत वितरण का दोशी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह किसी ब्राडकास्टर का लाइसेंसधारी/प्राधिकृत वितरक है और बाहरी क्षेत्र में वितरण एक वाणिज्यिक विकार है जो कि करार से उत्पन्न हुआ है जिसके लिए विवाद निपटान अधिकरण (टीडीसैट) अंतिम प्राधिकरण है । सब्सक्राइबरों की संख्या पर वाणिज्यिक विवाद, पारस्परिक रूप से बढ़ाई गई भुगतान को मांगना तथा ब्राडकास्टरों द्वारा मौजूदा संबद्ध एमएसओ/केबल ऑपरेटरों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए संचालन क्षेत्र संबंधी विवादों को अप्राधिकृत वितरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए । ऐसे विवादों के लिए ब्राडकास्टरों द्वारा लिए गए एक पक्षीय निर्णय के बजाए

टेलीकॉम अधिकरण का निर्णय प्राप्त किया जाना चाहिए । अप्राधिकृत वितरण को दो भागों में परिभाशित किया जाना चाहिएः (i) यदि ब्राडकास्टर द्वारा अपने प्राधिकृत आईआरडी के लिए किसी एमएसओ को स्विच ऑफ कर देता है परन्तु वह किसी अन्य एमएसओ/केबल ऑपरेटर से उनमें से किसी की भी पूर्व लिखित सहमति लिए बिना उस वि ोश ब्राडकास्टर के सिगनलों को ट्रांसमिट करता रहता है तथा (ii) कोई व्यक्ति, जिसके पास न तो ब्राडकास्टर से सीधे या किसी एमएसओ/केबल ऑपरेटर के माध्यम से कोई सहमति लिए बिना ब्राडकास्टरों के सिगनलों को वितरित करता है । (कोफी)

परामर्ी के मुद्दे

कनेक्ान काटने का नोटिस

- **क्या नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तारीख से की जानी चाहिए ?**
- **क्या चैनलों पर स्कौल चलाकर सार्वजनिक नोटिस देने के लिए ब्राडकास्टरों/एमएसओ के मौजूदा विकल्प को हटा दिया जाना चाहिए ?**
- **उन मामलों में, जहां ब्राडकास्टरों ने अपने चैनल स्विच ऑफ नहीं किए हैं, क्या एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों को कोई चैनल स्विच ऑफ करने से पहले ग्राहकों को नोटिस देना आवयक होगा ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. वितरक को पहले लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, उसकी पावती लेनी चाहिए तथा उसके बाद प्रचारित करना चाहिए । ऐसे मामले में, नोटिस अवधि की गणना सार्वजनकि सूचना की तारीख से की जाएगी । सार्वजनिक नोटिस वितरक द्वारा पावती देने की तारीख का उल्लेख कर सकता है । चैनलों पर स्क्रोल चलाकर सार्वजनिक सूचना देने के ब्राडकास्टरों/एमएसओ के उपलब्ध विकल्प को हटाना नहीं चाहिए । नेटवर्क पर द र्कों को हेडराड ऑपरेटरों अर्थात् एमएसओ/वितरक द्वारा हेड एण्ड में हुक की

चेतावनी अव य दी जानी चाहिए । (कर्नल वी.सी. खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टीवी पर्यवेक्षक)

2. नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना के जारी होने के दिन से की जानी चाहिए । चैनलों पर स्क्रोल के माध्यम से ब्राडकास्टर की विषय वस्तु को दर्भाकों को दिखाना सम्प्रेषण का प्रभावी माध्यम है अतः इस निश्चित तौर पर नहीं हटाना चाहिए । बिल्क, प्रस्ताव है कि ट्राई को टीवी चैनलों के वितरक तथा दर्भाकों को सूचना मुहैया कराने के लिए उसी स्क्रोल का इस्तेमाल करने की इजाजत ब्राडकास्टरों का देनी चाहिए । नोटिस अवधि न केवल, बाडकास्टरों/तथा या एमएसओ केलिए लागू होनी चाहिए बल्कि अंतिम उपभोक्ता को चैनलों का वितरक करने में लगे सभी उद्योगों, जिनमें लास्ट माईल ऑपरेटर भी भाामिल है, पर भी लागू होनी चाहिए । एमएसओ और केबल ऑपरेटर के मनमाने ढंग से सिगनल न देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । इसे ध्यान में रखते हुए, सिफारिभा की जाती है कि ट्राई को टीवी चैनलों का कोई वितरक प्रस्ताविक कार्रवाई विनियमन के खण्ड 4.1 ए में भाामिल करना चाहिए कि वे कारणों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए ब्राडकास्टरों तथा ग्राहकों को एक सप्ताह का नोटिस दिए बिना ब्राडकास्टर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के टीवी चैनलों सिगनलों को नहीं काटेगा" । टीवी चैनलों के वितरक द्वारा किसी चैनल के सिगनलों को स्विच ऑफ करने की नोटिस अवधि वही होनी चाहिए जो ब्राडकास्टरों/एमएसओ के लिए लागू है । विनियम के खण्ड 4.2 को संभाोधित किया जाए कि "टीवी चैनलों के ब्राडकास्टर/वितरक उस विवाद के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करेंगे ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सके । तदनुसार, सिगनल काटने की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी दी जाएगी यदि टीवी चैनलों का वितरण लोकल एरिया में ऑपरेटर कर रहा है और यदि वितरक किसी बड़े क्षेत्र में सेवा मुहैया करा रहा है तो दो राश्ट्रीय समाचार पत्रों में भी दी जाएगी । विकल्प के तौर पर ग्राहकों को संबंधित चैनल पर स्क्रौल के माध्यम से सूचित किया जा सकता है । टीवी चैनलों के वितरक संबंधित चैनल में स्क्रौल अव य करेंगे " । इसके अलावा, ऐसे एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरो को उस दभाा में मस्ट "प्रोवाइड " विनियम के लाभ का पात्र नहीं होना चाहिए क्योंकि तब वे ट्राई द्वारा जारी विनियमों का उल्लंघन करते हैं । (स्टार)

3. नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना जारी करने के दिन से की जानी चाहिए । इसके अलावा, सिगनल प्राप्त होने तथा विनियमित समय पर भुगतान करने के बीच के समयावधि के कारण वस्तुतः 30 दिन की अवधि पहले से ही तय है । ब्राडकास्टरों को स्क्रौल की पेभाकभा करने की प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए । यदि सेवा आपराधिक जिम्मेवारियों के कारण बंद नहीं की जाती है बल्कि किसी चैनल की डिलीवरी को रोकने का एक व्यावसायिक निर्णय है तो ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण रूप से ऐसी सेवा, के रद्दीकरण के समय लिए जाते हैं जिसमें सेवा के ऐसे लंबित परिवर्तन की सूचना ग्राहकों को दी जाती हे । इस समय, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर न तो उपभोक्ताओं को और न ही ब्राडकास्टरों को कोई सूचना दिए बगैर ब्राडकास्टरों के सिगनल काट देते हैं । ब्राडकास्टर तथा ऑपरेटरों के बीच की नोटिस अवधियों को संविदात्मक करार पर छोड़ देना बेहतर है परंतु समानता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ट्राई के विनियम एक दूसरे के पूरक हों बनाए जाते हैं । केबल ऑपरेटरों तथा सब्सक्राइबरों के बीच विनियमित नोटिस अवधि के संबंध में विनियामन हस्तक्षेप का कुछ औचित्य यह दिया जाता है कि इस संबंध में समझौते करने में उपभोक्ता अपने अंतिम सेवा प्रदाता को महत्व नहीं देते हैं । इसलिए, यह आवश्यक होना चाहिए कि उपभोक्ता सिगनलों के स्विच ऑफ किए जाने से पहले एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों से अधिसूचना प्राप्त करते हैं (यूएसआईबीसी)

4. किसी क्षेत्र में कैस लागू किए जाने के बाद पहले महीने में होने वाले घोषणा से संबंधित सभी विवादों के लिए नोटिस अवधि 30 दिन हो सकती है । पहले महीने के बाद पायरेसी से संबंधित सभी डिस्कनेक्भान तुरंत किए जा सकते हैं ताकि और पायरेसी से बचा जा सके । उन कारणों से हुए डिस्कनेभान के मामले में, जो पायरेसी से जुड़े नहीं है, नोटिस अवधि 7 दिन की हो सकती है इस अवधि में इम्पेंडिंग डिस्कनेभान के बारे में उपभोक्ताओं को आगाह करने के लिए सिगनल में स्क्रौल इनसर्ट किया जा सकता है । एमएसओ/एलसीओ के साथ हुए ब्राडकास्टर के समझौते/करार में "अप्राधिकृत प्रदर्भान " की गुजाइंभा को स्पश्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए । (एमपीए)

5. नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना के जारी होने के दिन से की जानी चाहिए । समाचारपत्रों (राश्ट्रीय/दैनिक) के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिसूचित करना काफी मंहगा सौदा होता है । इसलिए चैनलों का स्क्रौल चलाकर जनसूचना देने के लिए ब्राडकास्टरों/एमएसओ के पास उपलब्ध विकल्प को बंद नहीं कर देना चाहिए । बल्कि एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए । जिस दौरान चैनलों का स्क्रौल चलाए जा सकते हैं । यदि ब्राडकास्टर ने यह व्यवस्था उपलब्ध कराई है तो केबल ऑपरेटर/एमएसओ को चैनल स्विच ऑफ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । ऑपरेटर/एमएसओ की पर कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों को हनन करना होगी इसलिए इसे हर हालत में हतोत्साहित करना चाहिए । इसके अलावा, यदि इसमें "मस्ट प्रोवाइड " विनियम है तो केबल ऑपरेटरों/एमएसओ के लिए भी "मस्ट कैरी " विनियम होना चाहिए । (ईएसपीएन)

6. जी हाँ, नोटिस अवधि की गणना जन सूचना के दिन से की जानी चाहिए । स्क्रौल चलाने के विकल्प को हटा देना चाहिए । उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के स्विच ऑफ की सूचना दी जानी चाहिए चाहे वह ब्राडकास्टर की ओर से हो या एमएसओ की ओर से या केबल ऑपरेटर की ओर से क्योंकि यह अधिनयिम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृश्टि से बनाया गया है । (बीएनबी केबल्स)

7. सही मायने में नोटिस अवधि लिखित रूप में सेवा प्रदाता द्वारा उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के दिन से आरंभ होनी चाहिए तथा उपभोक्ताओ को नोटिस जारी करने के 7 दिनों के भीतर जनसूचना अनिवार्य की जानी चाहिए । चैनलों पर स्क्रौल चलाना एक परिहार्य न्यसेंस होता है । इस्तेमाल किए जाने वाले डिकोडर्स में एड्रेसेबलिटी होनी चाहिए ताक इम्पेंडिंग डिस्कनेक्भान के बारे में किसी विभोष ऑपरेटर को ही आगाह किया जा सकता हो । सस्ते डिकोडरों से भी अब ऐसे एड्रेसेबल मैसेजिंग स्पोर्ट होते हैं । प्राधिकरण को यह पुरजोर सिफारिभा की जाती है कि वह स्टॉक टिकरों से बचें और किसी क्षेत्र में स्क्रीन पर बलपूर्वक प्रदर्भित किए जा रहे मैसेजिंग को एक अनिवार्य बना देना चाहिए ।

यदि एमएसओ या केबल ऑपरेटर या काई सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई सेवा स्विच ऑफ करना चाहता है तो उसे स्विच ऑफ करने से पहले सब्सक्राइबरों को नोटिस देनी चाहिए । ब्राडकास्टर या सेवा प्रदाता के लिए उचित होगा कि वह जानता हो कि उसकी सेवाएं उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं के किसी विभोष वर्ग में उपलब्ध नहीं होगी और वह उस क्षेत्र में किसी अन्य भिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से या अलग प्रौद्योगिकी के द्वारा उन सेवाओं की सुपुर्दगी को वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है । (एसएससी)

8. नोटिस अवधि की गणना समाचारपत्रों में जनसूचना के जारी किए जाने की तारीख से की जानी चाहिए । ब्राडकास्टर के पास चैनल पर स्क्रौल चलाकर जन सूचना देने का विकल्प नहीं होना चाहिए और यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रस्तावित डिस्कनेभान की सूचना केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही दी जाए । किसी चैनल को स्विच ऑफ करने से पूर्व उपभोक्ताओं को नोटिस देना एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के लिए संभव नहीं है क्योंकि अब अधिकांभा ऑपरेटरों द्वारा 100 महीने से अधिक चैनल डिलीवर किए जा रहे हैं तथा नए चैनलों के लांच होने से नेटवर्क की क्षमता पर दबाव बढ़ने से चैनलों की भाफलिंग करना बाधित हो गया है अन्यथा कोई भी नया चैनल कभी वितरित नहीं हो पाएगा । इसके अलावा, एमएसओ तकनीकी कारणों जैसे ऑडियो की खराबी या वीडियो के क्वालिटी की खराबी आदि जेसे कारणों के कारण चैनल को बंद करने के लिए बाधित हो सकता है । (सिटी केबल)

9. नोटिस अवधि उस तारीख से आरंभ होनी चाहिए जिस दिन यह समाचारपत्रों में जारी होता है या एमएसओ/सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है । चैनलों पर स्क्रौल चलाकर जनसूचनाएं देना सही है अन्यथा ब्राडकास्टर प्रचार के लिए किसी अज्ञात समाचारपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे उस नेटवर्क के कई सब्सक्राइबर भाायद नहीं पढ़ते हों । (हालांकि ऐसे विज्ञापन जारी करने पर एमएसओ/केबल ऑपरेटर की निन्दा होती है और सब्सक्राइबर अपने बकायों का भुगतान करते समय समस्याएं खड़ी करते हैं) एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर द्वारा किसी भी चैनल को स्विच ऑफ करने से पहले

उपभोक्ताओं को सूचित करना अपेक्षित होताहै और यह स्टेकहोल्डरों के बीच हुए करार का एक भाग हो सकता है अर्थात् नोटिस अवधि था सूचना । दूसरे भाब्दों में, यदि किसी उपभोक्ता को सूचित किए जाने की आव यकता होती हैं तो एमएसओ ऐसे परिवर्तन करने के 3 दिन पहले अग्रिम सूचना दे सकता है और यदि कोई एमएसओ हमे ाा के लिए किसी ब्राडकास्टर के सिगनल को स्विच ऑफ करना चाहता है तो यह अवधि 30 दिन की होनी चाहिए । यदि ब्राडकास्टर किसी एमएसओ को 30 दिन का नोटिस देता है, तो निरपवाद रूप से अधिकां ा मामलों में, चाहे टीडीसैट से हस्तक्षेप करने की मांग की गई हो या वह मामला पार्टियों के बीच निपटाया जाता है उस मामले में स्क्रौल पर ऐसी सूचनाएं देना या समाचारपत्रों में प्रकाि ात करने का कोई अर्थ नहीं रहता है । द िकों को इसकी सूचना की जानी चाहिए कि उपर्युक्त निवारक उपायों का प्रयोग किया गया है अर्थात् टीडीसैट से कोई राहत नहीं मिली है और पार्टियों के बीच बातचीत असफल रही है और उसे नेटवर्क पर उस ब्राडकास्टर के सिगनल स्विच ऑफ किया जा रहा है (आईएमसीएल)

10. नोटिस अवधि में जनसूचना जारी करने की तारीख भाामिल नहीं होनी चाहिए और इसमें सिगनलों को काटे जाने/डिएक्टिवेट करने की संभावित तारीख भी भाामिल नहीं होनी चाहिए । चैनलों पर स्क्रौल चलाकर जन सूचनाएं देने के ब्रॉडकास्टरों/एमएसओ के उपलब्‍। विकल्प को बंद नहीं करना चाहिए । किसी चैनल को स्विच ऑफ करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों के लिए अपेक्षित नहीं होना चाहिए । कई बार ब्राडकास्टर धमकाने के लिए ही नोटिस दे देते हैं और उनका इरादा सिगनलों को काटने या डिएक्टीवेट करने का नहीं होता है बल्कि एमएसओ/एलसीओ पर रौब बनाए रखना होता है । (हैथवे)

11. नोटिस अवधि की गणना समाचारपत्रों में इससे प्रका ान की तारीख से एमएसओ/केबल ऑपरेटर द्वारा पावती दिए जाने की तारीख से की जानी चाहिए । चैनल पर स्क्रौल चलाकर जन सूचना देना बंद नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा ब्राडकास्टर

किसी अज्ञात समाचारपत्राों में सूचना प्रसारित कर सकता है जिसे उन नेटवर्क के कई सब्सक्राइबर भाायद नहीं पढ़ते हों । लेकिन यह माना जाता है कि ऐसे विज्ञापन एमएसओ और केबल ऑपरेटर के लिए निंदक हो सकते हैं क्योंकि ये उस नेटवर्क के सब्सक्राइबरों को भ्रम में डाल सकते हैं कि उनका केबल ऑपरेटर ब्राडकास्टर को अपने बकायों का भुगतान नहीं कर रहा है । जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है, हो सकता है अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए ब्राडकास्टर तथा केबल ऑपरेटर के बीच सतहीपन पर कोई विवाद हो, जो अक्सर हो जाते हैं । एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों को किसी चैनल को स्विच ऑफ करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना अपेक्षित होता है और यह स्टेकहोल्डरों के बीच हुए करार का हिस्सा हो सकता है अर्थात् नोटिस अवधि तथा सूचना । दूसरे भाब्दों में, यदि किसी उपभोक्ता को सूचित किए जाने की आव यकता है तो एमएसओ ऐसे परिवर्तन करने से 7 दिन पहले अग्रिम सूचना देने के लिए नेटवर्क पर स्क्रौल चला सकता है और यदि एमएसओ हमे ाा लिए किसी ब्राडकास्टर के सिगनल को स्विच ऑफ करना चाहता है तो इसके लिए 30 दिन है । सामान्यतः, ऐसे विवादों में पार्टियां 30 दिन की समाप्ति से पहले मामले को निपटाने के लिए टीडीसैट से संपर्क करती है ताकि सिगनलों में कोई विघ्न न पड़े । यदि उपर्युक्त निवारक उपायों का इस्तेमाल किया जा चुका है और टीडीसैट से कोई राहत नहीं मिली और पार्टियों के बीच बातचीत भी असफल हो गई है तो द र्कों को उस नेटवर्क पर किसी ब्रॉडकास्टर के सिगनल स्विच होने की सूचना दी जानी चाहिए । (कोफी)

परामर्श के मुद्दे

कंटेंट (विशय वस्तु) में एक्सेस

- **क्या किसी ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट या किसी मध्यस्थ के लिए ऐसी कोई समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें वे अनुरोध प्राप्त होने के भीतर सिगनल मुहैया कराएं या अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण बताते हुए उसे स्वीकार कर दे ताकि टीवी**

चैनलों का वितरक बिना समय गवांए किसी उपयुक्त मंच में इस मामले का उठा सके ?

- **क्या इस समय सीमा में टीवी चैनलों के उस वितरक जिसने अपने एजेंट या मध्यस्थ को सिगनलों का अनुरोध किया है को हवाला देने के लिए ब्रॉडकास्टर द्वारा लिए गए समय को भी भाामिल किया जाना चाहिए ?**
- **क्या अन्तरसंयोजन विनियम में से अनिवार्य एक्सेस तथा नॉन–एक्सक्लुसिविलिटी अपेक्षा को हटा दिया जाए ताकि उन चैनलों को, किसी अन्य डिजीटल प्लेटफार्म/सेवा या उस केबल प्लेटफार्म पर उपलब्ध। कराए जाने की अनिवार्य अपेक्षा न हो जो केवल एक डिजीटल प्लेटफार्म/सेवा में ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं ?**
- **क्या विकल्प के तौर पर इन अपेक्षाओं को केवल चैनलों पर लागू किया जाए जो किसी वि□श तारीख से पहले बाजार में उपलब्ध है ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. यह स्थिति अब तक अलग–अलग पड़े सैटेलाइट कनटेंट को अपलिंक करने की प्रसारण विधि की प्रक्रिया के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है । प्रतिस्पर्धा–रोधी प्रवृत्तियों को रोकने की कार्यविधि विकसित की जानी है जिसमें अनुरोध पर कार्रवाई न करने के उन सभी कारणों को लिखित रूप में, एक अनुबंधित समय के भीतर, अव य संसूचित किया जाए ताकि आवेदक किसी उपयुक्त मंच पर इस मामले का उठा सके । दूरसंचार के मौजूदा तीव्र संसाधनों (टेलीफोन, ई–मेल, फैक्स आदि) के मद्देनजर तय समय सीमा में ब्राडकास्टर के एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को सूचित किए जाने का समय भाामिल होना चाहिए । ऐसे अनुरोध के लिए एक मानक फार्म का इस्तेमाल करना एक संभव हल हो सकता है, जिसकी परि ुद्धता से भरे जाने की जांच उपभोक्ता सेवा डेस्क पर की जासकती है; इस बात की पावती दी जा सकती है कि आवेदन पत्र सभी संदर्भों से पूर्ण है और तब ऐसे पूर्ण आवेदन पत्रों को स्वीकार किए जाने की तारीख से समय सीमा लागू की जाए । मनाही के कारणों की लिखित सूचना में इस तथ्य–तथ्य का उल्लेख किया जाए कि प्रिंसिपल को अवगत करा दिया गया है । अंतरसंयोजन विनियम में अपेक्षित अनिवार्य

एक्सेस तथा नॉन–एक्सक्लूसिविटी की अपेक्षा को नहीं हटाया जाना चाहिए । यह अपेक्षा सभी चैनलों पर लागू होनी चाहिए चाहे भारतीय केबल टीवी के बाजार में उसके प्रवे ा करने की तारीख कुछ भी हो । (कर्नल वी.सी. खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टीवी पर्यवेक्षक)

2. आवेदकों के आवेदन पत्रों, पर कार्रवाई करने की विधि सामान्यतया काफी लंबी होती है और कोई औपचारिकताओं जैसे पूर्ण प्रलेख, स्थल का दौरा आदि को पूरा किए जाने की आव यकता के कारण उनमें लगने वाला समय हर मामले में अलग–अलग होता ाहै । इसे ध्यान में रखते हुए, कार्रवाई करने के लिए एजेंट/मध्यस्थ के लिए बाहरी समय–सीमा निरोपित करना अनुचित तथा अव्यावहारकि होगा । किसी नए उद्यमी के साथ दीर्घ व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए अथक परिश्रम तथा जटिल व्यावसायिक संबंध स्थापित करने होते हैं । ये कार्यवाहियां आमतौर पर लंबी होती है । इसे ध्यान में रखते हुए, स्टार इंडिया की राय है कि आवेदकों के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने की कोई समय–सीमा नहीं होनी चाहिए । मौजूदा स्थितियों में विनियम के 'मस्ट प्रोवाइड' तथा 'नॉन–एक्सक्लूसिविलिटी' जेसे अति व्यापक उपबंधों की अन्य कारकों के अलावा इस कारण को मद्देनजर रखते हुए समीक्षा की जाने की आव यकता है कि इस समय सीएण्डएस प्लेटफार्म पर उपभोक्ताओं के लिए 240 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं । सी एण्ड एस लगभग 61 मिलियन उपभोक्ता गृहों में अपनी पहुंच के कारण ब्राडकास्टरों के लिए एक वरीय प्लेटफार्म है । टीवी चैनलों के सभी वितरकों में सभी चैनलों की गैर–भेदभावपूर्ण एक्सेस को विनियम द्वारा अधिदे ात नहीं किया जाना चाहिए । स्टार इंडिया का मत है कि विनियामक तंत्र को उपभोक्ताओं के हित में तथा प्रतिस्पर्धा के लिए एक संतुलित मार्ग अपनाना चाहिए । स्टार इंडिया का मानना है कि इन अपेक्षाओं के अनुप्रयोग का आधार तारीख नहीं होना चाहिए । (स्टार)

3. सिगनलों की व्यवस्था करने के अनुरोध पर की जाने वाली कार्रवाई कई अलग–अलग कारकों पर निर्भर करती है जैसे अपेक्षित तकनीकी सूचना की व्यवस्था, वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार करना, उस स्थल का निरीक्षण करना तथा आपूर्ति तथा वितरण की भार्तों पर समझौता करना । वास्तव में, इस कार्रवाई को अक्सर वितरक की

ओर से वलिंब किया जाता है । व्यावसायिक समझौते के लिए एक सीमित अवधि निर्धारित करना अव्यावहारिक है । अनिवार्य एक्सेस उपबंधों को हटा दिया जाना चाहिए । बाजार की विकृतियों के समाधान के लिए कीमतों की फ्रीज करना और अनिवार्य एक्सेस जैसे कुछ उपबंध हैं जो आज संपूर्ण वि व में टेलीविजन विनियामक प्रणाली में भाामिल हैं । अनिवार्य एक्सेस को सभी चैनलों के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए चाहे उस चैनल की भारत में चालू होने की तारीख कुछ भी हो । (यूएसआईबीसी)

4. एक ऐसा पारद र्ी तंत्र होना चाहिए जो ब्राडकास्टरों या उनके एजेंटों को, उस केबल ऑपरटर जिसे अपने सिगनल आगे रि–ट्रांसमि ान करने के लिए लाइसेंस देना अपेक्षित होता है, लाइसेंस देने से पहले उस केबल ऑपरेटर की वि वसनीयता तथा व्यावहारिक प्रतिश्ठा का मूल्यांकन करने की अनुमति देता हो । यह तंत्र केबल ऑपरेटरों की जवाबदेही की न्यूनतम सीमा तय कर सके । यदि किसी केबल ऑपरेटर का संपर्क किसी अवांछनीय व्यक्ति से पाया जाता है तो ब्राडकास्टर उस ऑपरेअर को सिगनल देने से मना करने में समर्थ होना चाहिए । इस सादृ य में, नए वैट रजिस्ट्रे ान के लिए आज किसी व्यवसायी को 1,00,000/–रु0 तय की प्रतिभूति सरकार को मुहैया करानी होती है । बहरहाल, इस प्रतिभूति को कम करके 50,000/– रु0 किया जा सकता है, यदि उसके पास निम्नलिखित से एक हो: फिक्सड लाइन का टेलीफोन; पासपोर्ट; परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) । इसी प्रकार की कियाविधि होनी चाहिए जिसमें कम से कम आयकर PAN नंबर या VAT (वैट) रजिस्ट्रे ान नंबर उस ब्राडकास्टर के सम्मुख प्रस्तुत करना अपेक्षित हो जिस पर सिगनल मुहैया कराने का दायित्व है । दूरसंचार विनियम 2004 के मद्देनजर सिगनल की पे ाक ा गैर भेदभावपूर्ण आधार पर की जानी चाहिए परंतु ये न्यूनतम वित्तीय व्यवहार्यता भार्तों पर होनी चाहिए जो पारद र्ी तथा उचित हो । अन्तरसंयोजन विनियमों में 'मस्ट प्रोवाइड' दायित्व का कुछ एमएसओ और उनके संबद्ध पक्ष एलसीओ द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप गलत अर्थ लगाया जाता रहा है कि उनके पास जिसके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने का उनमुक्त अधिकार है ब्राडकास्टरों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है । प्रस्ताव है कि किसी वितरक द्वारा टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के अनुरोध को या तो (क) उस अंतिम उपभोक्ता को सिगनल की

रि–ट्रांसमि ान के अंतर्णस्त रखा जाए जो भुगतान करने में समर्थ हो तथा ब्राडकास्टर तथा वितरक के बीच हुए मौजूदा भार्तो क`अनुसार उस विनिर्दिश्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हो या (ख) उनके संचालन क्षेत्र पर आधारित एलसीओ को सिगनल रि–ट्रांस्मो ान करने के अंतर्गत हो । इसके अलावा, सभी एमएसओ को अपने सभी उप–ऑपरेटरों, लिंक ऑपरेटरों तथा एलसीओ की सूची घोशित करनी चाहिए और अपने प्रदत्त सब्सक्राइबर आधार के ब्यौरे मुहैया कराने में समर्थ होना चाहिए । अनिवार्य एक्सेस तथा नॉन एक्सक्लूसिविलिटी के उपबंधों को हटा देना चाहिए । मौजूदा बाजार की परिस्थितियों में सिगनल रिसीव करने के लिए उपभोक्ताओं के पास एक्सेस के कई साधन उपलब्ध हैं । इस प्रकार, बाजार भाक्तियों को चैनलों की उपलब्धता का पता लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए और डिजीटल तथा एनालॉग चैनलों की उपलब्धता के बीच कोई मूलभेद नहीं होना चाहिए । (एमपीए)

5. कनटेंट के लिए अनिवार्य एक्सेस की कोई आव यकता नहीं है और बाजार भाक्तियों को इन पहलुओं को तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए । इससे सब्सक्राइबरों को भी फायदा होगा । इसके अलावा, जहां तक पे चैनलों, और वि ोश तौर पर स्पोटर्स चैनलों का संबंध है 'मस्ट कैरी' के उपबंध अव य होने चाहिए क्योंकि स्पोटर्स चैनल दे ा के खेलकूद तथा प्रतिभा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं स्पोटर्स चैनलों की वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने से स्वयं खेलकूद की वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने से स्वयं खेलकूद की वत्रद्धि पर प्रतिबंध लेगेगा । (ईएसपीएन)

6. इस अधिनियम का उद्दे य उन विसंगतियों को दूर करना है जो अभी तक दूर की जानी हैं । चूंकि, ब्राडकास्टर उनकों अपने सिगनल मुहैया नहीं करा रहे हैं जिनके साथ पहले से ही पक्षपात किया जा रहा है बल्कि नए प्रतिभागियों को भी सिगनल देने से इंकार किया जा रहा है । सिगनल उपलब्ध कराने का दायित्व खण्ड को और कड़ा बनाकर ब्राडकास्टर पर डाला जाना चाहिए । निर्धारित की गई समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यह नि चत किया जाए कि तीस दिनों से कम समयावधि के भीतर सिगनल उपलब्ध करा दिए जाएं । सिगनल के लिए अनुरोध करने वालों के लिए

मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए बजाय इसके कि ब्राडकास्टर प्रतिदिन नए मानदण्ड निर्धारित करे । यदि समय–सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है तो इस अधिनिमय का उद्दे य विफल हो जाएगा और वास्तविकता यथापूर्व बनी रहेगी । समय–सीमा में उसके एजेन्टों अथवा मध्यस्थों से संपर्क करने में लिया गया समय भी भाामिल होना चाहिए । ऐसे भी उदाहरण हैं जहां ब्राडकास्टर और उसके एजेंट/मध्यस्थ 30 दिनों से ज्यादा समय तक सिगनल उपलब्ध कराने के अनुरोध की परवाह नहीं करते । इन मामलों में दंड लगाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिगनल उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए । अनिवार्य एक्सेस और गैर–अन्यत्रता आव यकता को पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक प्लेटफार्म पर दूसरे की तुलना में अतिरिक्त लाभ होगा, जिससे बहुत से नेटवर्कों पर असर पड़ेगा । (बीएनबी केबल्स)

7. जी हॉ । कंटेंट अनुरोध करने वाले सेवा प्रदाता के अनुरोध के निपटान के लिए 30 दिनों की समय–सीमा निर्धारित होनी चाहिए । इस प्रक्रिया को इस रूप में परिभाशित किया जाना चाहिए–ब्राडकास्टर के एजेंट को अनुरोध करने के प चात् इसे अंतिम अनुरोध के रूप में लिया जाना चाहिए कि अनुरोध करने वाली पार्टी पर भारत में अथवा विदे ा में किसी अन्य एजेंसी से संपर्क करने का दायित्व नहीं होना चाहिए; एजेंट को अनुरोध की पावती देनी चाहिए । एजेन्ट को ऐसे अनुरोध प्राप्त होने से एक माह के भीतर इंटरकनेक्ट विनियम में यथा अनिवार्य गैर–भेदमूलक दरों पर कनटेंट में एक्सेस अव य मुहैया कराना होगा; रेगुलेटर के पास सभी इंटरकनेक्ट दरें फाइल की जानी चाहिए अपने एजेन्ट के माध्यम से ब्राडकास्टर को सभी भार्तों को पूरा करना चाहिए, जैसे डिकोडर की व्यवस्था करना, या आवेदक पार्टी को रेगुलेटर के पास फाइल किए दर पर डिक्रिप् ान उपस्कर उपलब्ध करना । यदि निर्धारित तिथि तक एजेन्ट द्वारा एक्सेस उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो रेगुलेटर को हस्तक्षेप करना चाहिए और कंटेंट की व्यवस्था के लिए अंतिम आदे ा पारित कर देना चाहिए जो कि आव यक हो; कोई अन्य वाणिज्यिक औपचारिकता को, यदि आव यक हो तो, रेगुलेटर द्वारा निर्धारित किसी एजेन्सी के माध्यम से पूरा कर लेना चाहिए और यदि इनक कार्य में वह विफल रहता है तो डाउनलिंकिंग मानदंडों के आधार

पर कार्यवाही भी की जानी चाहिए । कंटेंट के लिए अनुरोध करार की मानक भार्तों पर मानक फार्मेट पर किया जाना चाहिए । यदि इन मामलों पर ध्यान दिया जाए तो इससे बहुत से कानूनी मामले निपट जाएंगे और ग्राहकों की परे ाानी तथा कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है । चैनलों के आव यक प्रावधानों को तभी माना जा सकता है यदि हम मानें कि वह प्लेटफार्म जहां एक डिवाइस को एनेबल करके सब्सक्राइबर की समस्या का डिजीटल रूप में समाधान हो सके तभी ''अव य उपलब्ध कराया जाए'' विनियम का लाभ मिल सकेगा ।

केबल नेटवर्क में क्षमता की कमी की समस्या से निपटने के लिए अधिसूचना की तिथि के प चात् भुारू किए जाने वाले नए पे चैनलों के लिए यह आव यक होगा कि वे डिजीटल मोड में ही हों । समय सीमा सिर्फ एक होनी चाहिए – जो कि ब्राडकास्टर के अधिसूचित एजेन्ट के लिए दी गई हो । कोई अन्य समय अथवा छूट नहीं दी जानी चाहिए । (एएससी)

8. इंटरकनेक्ट विनियम के खण्ड 3.4 के अनुसार ब्राडकास्टर/एमएसओ के किसी एजेन्ट अथवा किसी अन्य मध्यस्थ को टीवी चैनल के सिगनल उपलब्ध करने के अनुरोध को समुचित समय–सीमा के भीतर उत्तर देना चाहिए जो अवधि 30 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए । इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए चाहे एजेन्ट, वितरक से कुछ विवरण क्यों न मांगे । एजेन्ट के 30 दिनों की उक्त समयावधि के भीतर हां या नहीं का जवाब देना चाहिए ताकि वह अपनी ि ाकायतों के निपटारे के लिए या तो ब्राडकास्टर के पास अथवा किसी उचित मंच से संपर्क कर सके । 30 दिनों की समग्र समय सीमा में ब्राडकास्टर अपने एजेन्टों या मध्यस्थ से सिगनल हेतु अनुरोध के लिए संपर्क करने में लगा समय भी भाामिल होगा । डीटीएच, आईपीटीवी आदि जैसे डिजीटल प्लेटफार्मों और केबल वितरण प्लेटफार्मों के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनि चत करने के लिए इंटरकनेक्ट विनियमन में गैर अनन्यता की आव यता जारी रहनी चाहिए । यह आव यकता सभी चैनलों पर लागू होनी चाहिए चाहे उनको भुारू करने की तारीख कोई भी क्यों न हो

डिजीटल प्लेटफार्मों और/अथवा डिजीटल प्लेटफार्मों की तुलना में केबल प्लेटफार्मों के बीच कोई अनन्यता नहीं होनी चाहिए । (सिटी केबल)

9. एजेन्ट/एमएसओ/ब्राडकास्टर को अनुरोध प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों तक की एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । इस समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा अपने एजेन्टों या किसी मध्यस्थ से सिगनल हेतु अनुरोध संपर्क करने में लगने वाला समय भी भाामिल होगा । यह बलपूर्वक उल्लेख किया गया कि किसी भी स्थिति में अनन्य सामग्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह एनालॉग या डिजीटल फारमेट में हो और एक–एक प्रौद्योगिकी की तुलना में किसी और अन्य वि ोश प्रौद्योगिकी में हो । इसकी ग्राहकों के हित और सीधे (वर्टीकल) एकाधिकार के युग में आव यकता है – (महानगरों में बाजार का 80 प्रति ात हिस्सा सीधे (वर्टीकल) एकीकृत नेटवर्कों के हाथ में है । ये आव यकताएं ऐसी सभी चैनलों पर लागू होंगी जो नए चैनलों को हटाए जाने पर भारत में डाउनलिंक करने के इच्छुक हैं । ऐसी संभावना है कि यदि 'आव यक उपलब्ध कराया जाए' प्रावधान से नए चैनलों को छूट मिलती है तो सामग्री को भोयर करके उपयोग करने से बचने के लिए ब्राडकास्टर अपनी लोकप्रिय सामग्री/प्रोग्रामों को नए चैनलों पर देने लगेंगे । इसके अलावा एक क्षेत्र में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की संख्या की किसी सीमा के बिना गैर–अनन्यता को बनाए रखना होगा । (आईएमसीएल)

10. खण्ड 3.4 और 3.6 के अंतर्गत उत्तर देने हेतु ''30 दिनों से कम की समयावधि'' की मौजूदा प्रणाली उचित रूप से कार्य कर रही है । इस समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा टीवी चैनल के वितरक के अनुरोध को अपने एजेन्ट अथवा मध्यस्थ से सिगनलों के लिए किए गए अनुरोध में लगने वाला समय भाामिल नहीं होना चाहिए । इन्टरकनेक्ट विनियम में आव यक अभिगम्यता और गैर–अनन्यता की आव यकता के प्रावधानों को हटाया नहीं जाना चाहिए । ऐसे किसी भी प्रयास का केबल टीवी उद्योग बड़े जोर– ोर से विरोध करेगा जिसमें डीटीएच, आईपीटीवी जैसे एक प्लेटफार्मों के लिए सामग्री सृजित हो और एनालॉग केबल/डिजीटल टीवी प्लेटफार्म खत्म होने की कगार पर आ जाए क्योंकि यह

स्पश्टतः भेदभावपूर्ण और मनमाना है । इन आव यकताओं को सिर्फ ऐसे चैनलों पर ही लागू नहीं किया जाना चाहिए जो एक वि ोश तिथि के पहले बाजार में उतरे हों । (हैथवे)

11. चूंकि ब्राडकास्टर द्वारा अपने डिकोडर के माध्यम से सिगनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचलित है उसे मात्र 2 घंटों के भीतर एक्टीवेट किया जा सकता है । स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए एजेन्ट/एमएसओ/ब्राडकास्टर को अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि उपलबध होनी चाहिए । 7 दिनों की समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा चैनलों के वितरकों से संपर्क करने में और उसके द्वारा अपने एजेन्टों अथवा मध्यस्थ से सिगनलों के लिए अनुरोध करने में लगने वाला समय भी भाामिल होना चाहिए । किसी भी स्थिति में अनन्य सामग्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह एनालॉग डिजीटल फारमेट हो या एक वि ोश प्रौद्योगिकी की तुलना में किसी अन्य प्रौद्योगिकी पर हों । इसकी ग्राहकों के हित के लिए और सीधे (वर्टीकल) एकाधिकार के इस युग में आव यकता है । ऐसी आव यकताओं को ऐसे सभी चैनलों पर लागू किया जा सकता है जो भारत में डाउनलिंक करने के इच्छुक हों । इसके अलावा एक क्षेत्र में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की संख्या की सीमा के बिना गैर–अनन्यता को बनाए रखना होगा । (सीओएफआई)

परामर्ा के लिए मुद्दा

परिचालन का क्षेत्र

- **क्या ब्राडकास्टर का सभी वितरकों को सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व केबल तब तक वैध है जब तक वाणिज्य करार में परिभाशित एमएसओ/एलसीओ परिचालन एक क्षेत्र तक प्रतिबंधित है ।**

प्राप्त टिप्पणियां

1. आईआरडी जारी करके हेड एण्ड पर एक्सेस उपलब्ध कराई जाती है । इंटरकनेक्ट करार के अंतर्गत करार में हेड एण्ड स्थल के पते पर आईआरडी वि ोश रूप से आबंटित किया जाना चाहिए । तभी यह माना जाएगा कि एक वि ोश आईआरडी को एक वि ोश हेड एण्ड और उसके परिचालन के क्षेत्र में आने वाली सीमा तक ही सीमित रखा गया है (कर्नल वी.सी. खरे (सेवानिवृत्त)–केबल टीवी पर्यवेक्षक)

2. अं ादान करार के निशपादन के बाद, निर्धारित क्षेत्र के बाहर सब्सक्राइबरों को भुगतान करने की एमएसओ या एलएसओ की सेवा का प्रावधान (i) ब्राडकास्टर द्वारा प्राधिकृत नही है; (ii) एमएसओ/एलसीओ द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है; तथा (iii) जिससे किसी अन्य एमएसओ/एलसीओ के रिट्रांसमि ान लाइसेंस में हस्तक्षेप करने की संभावना हो । कुछ एमएसओ और उनके संबद्ध एलसीओ द्वारा विनियम में ''अव य उपलब्ध कराया जाए'' के दायित्व का गलत अर्थ लगाया जा रहा है ताकि वे अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए उन्हें बेलगाम अधिकार मिल जाएं । अतः स्टार इंडिया का विचार है कि निर्धारित क्षेत्र में परिचालन के संबंध में ब्राडकास्टरों और उनके प्राधिकृत वितरकों/एजेन्टों पर ''अव य उपलब्ध कराया जाए'' दायित्व में उचित सं ोधन किया जाए और लाइसेंसी और उसके संबद्धों/उप लाइसेंसियों के लिए यह बाध्यकर होगा कि वे अपने परिचालन के क्षेत्र तक अपने को सीमित रखें । ट्राई को एक नियम भी समाविश्ट करना चाहिए, जो एमएसओ और एलसीओ को घोशित सब्सक्राइबरों का ब्यौरा (नाम और पते सहित) उपलब्ध कराने को बाध्यकर बनाए । प्रावधान के न होने के कारण एमएसओ और उनके संबद्ध एलसीओ ब्राडकास्टर के 'अव य उपलब्ध कराया जाए' दायित्व का दुरूपयोग कर रहे हैं । (स्टार)

3. ट्राई के 'अव य उपलब्ध कराया जाए' दायित्व का कुछ एमएसओ और केबल ऑपरेटरों द्वार, चैनल आपूर्ति करार में निर्धारित भौगोलिक सीमाओं को न देखते हुए अपने

नेटवर्क का विस्तार करने के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है । यह आव यक हो गया है कि ट्राई यह स्पशट करे कि उसका ब्राडकास्टरों पर मौजूदा 'अव य उपलब्ध कराया जाए' दायित्व का अर्थ यह नहीं है कि वह एमएसओ और केबल ऑपरेटर को व्यावसायिक रूप से सहमति हुई निर्धारित क्षेत्र के बाहर अपनी सेवा के विस्तार का अदंडित अधिकार प्रदान करता है । (यूएसआईबीसी)

4. प्रत्येक एमएसओ/एलसीओ का वितरण का एक विनिर्दिशट भौगोलिक क्षेत्र होगा, जिसके भीतर वह अपने सब्सक्राइबरों की संख्या को बढ़ाएगा । ट्राई ऐसी योजना की व्यवहार्यता की जांच कर सकती है जो एमएसओ को केबल अवसंरचना लगाने की अनुमति देता है और फीस एकत्रित करने तथा क्षेत्र के वर्तमान परिचालन में लगे हुए मौजूदा 1–2 केबल ऑपरेटरों, जिनके पास मौजूदा नियंत्रण है को ही अवसंरचना के रख–रखाव के अधिकार देता है, इस फ्रैंचाइज/लाइसेंस को कुछ फीस का भुगतान करने या गारंटी देने के बाद दिया जा सकता है । तेजी से बढ़ रही मांग की पूर्ति के लिए नए लााइसेंस देने की आव यकता के अलावा किसी भी नए ऑपरेटर को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा । इन मामलों में उन्हें ब्राडकास्टर को सूचित करना आपव यक होगा तथा मौजूदा करारों की समीक्षा और उचित रूप में सं ाोधन किया जाना होगा । (एमपीए)

5. वाणिज्यिक करार में केबल ऑपरेटर के परिचालन के क्षेत्र को स्पशट रूप से नि चत किया जाना चाहिए और ब्राडकास्टर का सभी केबल ऑपरेटरों का कंटेंट की एक्सेस उपलब्ध कराने का दायित्व तक वैध रहेगा जब तक वह केबल ऑपरेटर अपनी निर्धारित सीमा तक बने रहते हैं । अन्यथा केबल ऑपरेटर द्वारा अपने परिचालन के क्षेत्र से बाहर अनाधिकृत विस्तार करने के परिणामस्वरूप अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी (ईएसपीएन)

6. करार को इस प्रकार बनाया जाए ताकि या तो उसमें परिचालन क्षेत्र पूर्व निर्धारित हो अथवा करार में एक समय आधारित बढ़ोतरी अर्थात् दिए गए क्षेत्र तथा ग्राहकों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकती हो । डीटीएच ऑपरेटर जैसे अधिकतर एमएसओ और ऑपरेटर ऐसे वातावरण में कार्य करते हैं जहां भौगोलिक दृश्टिकोण से फैले हुए क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और ऐसे प्रावधान करार में भाामिल किए जा सकते हैं । (एएससी)

7. यदि चैनल के वितरक के पास एक वि ोश क्षेत्र में परिचालन हेतु वैध पंजीकरण है तो ब्राडकास्टर द्वारा कृत्रिम बाधाएं लगाकर उसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ विकास में बाधा न बन सके । इस संबंध में एकमात्र मुद्दा परिचालन के विस्तारित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त अं ादान फीस का भुगतान करना है, जिसका निपटान ब्राडकास्टर और चैनलों के वितरकों के बीच अतिरिक्त क्षेत्र के लिए ''विचार–विम र्ा के आधार पर स्वीकृत सब्सक्राइबर आधार'' के द्वारा किया जा सकता है । चैनलों के वितरक द्वारा उस क्षेत्र का विस्तार, जिसमें वह वैध पंजीकरण होने के नाते परिचालन के लिए प्राधिकृत है, को पाएरेसी अथवा अप्राधिकृत वितरण नहीं कहा जा सकता, और ऐसा होने पर ब्राडकास्टर 2 दिनों का नोटिस देकर अपने चैनलों को बंद करने का पात्र नहीं हो जाता है । ऐसी स्थिति में परिचालन के अतिरिक्त/विस्तारित क्षेत्र के लिए सब्सक्रीप ान भुाल्क पर बातचीत द्वारा निपटान किए जाने के लिए 30 दिनों की अवधि दी जाए, जिसके न होने की स्थिति में चैनलों के वितरक कानून के अनुसार समस्याओं के निपटारे के लिए माननीय टीडीसैट के समक्ष संपर्क करने के पात्र होंगे । (सिटी केबल)

8. आईएमसीएल का विचार है कि यदि आईएमसीएल भाहर के ग्राहकों की सेवा करने का इच्छुक है तो उसे बिना किसी रूकावट के ऐसा करने की अनुमति दी जाए तथा ऐसी स्थिति में ब्राडकास्टर ऐसी भार्तें न लगा सकें जो कि एमएसओ को भाहर के भीतर ही सीमित रखें । ब्राडकास्टर के लिए यह आव यक होगा कि वह भाहर में कार्य करने वाले एमएसओ/एलसीओ की संख्या और उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कनेक ानों की संख्या के लिए उन्हें किए जाने वाले भुगतान के संबंध में सूचना का आदान–प्रदान करे और ऐसी सूचना को जनता के समक्ष सार्वजनिक करे ताकि जब कोई नया एमएसओ सेवा देना चाहे तो उसके साथ भेदभाव न हो और आज के वातावरण में प्रतिस्पर्धी एमएसओ के बीच एक पारद ाी तरीके से कनेक्टिविटी का अंतरण हो सके । (आईएमसीएल)

9. जी नहीं । इससे प्रतिबंधित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अनुचित व्यवसाय व्यवहार बढ़ेगा । यह अंततः अभिदान भुाल्क में सं ाोधन के अध्यधीन होगा जो परिचालन/बिलेबल क्षेत्र/आकार में यदि विकास होता है तो बढ़ेगा और यदि घाटा होताा है तो घटेगा (हैथवे)

10. किसी भी एमएसओ/केबल ऑपरेटर, जो भाहर में ग्राहकों की सेवा करने का इच्छुक है, को बिना किसी रूकावट के ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए और ब्राडकास्टर तब ऐसी कोई भार्तें नहीं रख सेकेगा जिनसे उस भाहर के क्षेत्र के भीतर ही उसे सीमित रखा जा सके । ब्राडकास्टर के क्षेत्र में परिचालन करने वाले एमएसओ/एलसीओ की संख्या और उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए उनको किए जाने के भुगतान के संबंध में सूचना को बांटना चाहिए और ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सेवा प्राप्त करने वाले नए एमएसओ के साथ वह भेदभाव न कर सकें तथा आज के वातावरण में प्रतिस्पर्धी एमएसओ के बीच एक पारद र्गी तरीके से कनेक्टिीविटी का अंतरण हो सके । इससे सब्सक्राइबरों को ब्राडकास्टरों की वेबसाइट से यह जानकारी मिल सकेगी कि एक वि ोश क्षेत्र में किस एमएसओ/केबल ऑपरेटर से सिगनल उपलब्ध हो रहे हैं । किसी क्षेत्र के सीमांकन को विनियामक/लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस के हिस्से के रूप में किया जाएगा । चूंकि अब तक कोई लाइसेंसिंग नहीं है, ब्राडकास्टर द्वारा क्षेत्र की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यदि विभिन्न ब्राडकास्टर अलग–अलग क्षेत्राों में घुसपैठ करेंगे तो इससे असमंजस की स्थिति बन जाएगी । (सीओएफआई)

परामर्श के मुद्दे

ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रूप में एमएसओ

- **क्या विनियम में किसी एमएसओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रूप में नियुक्ति करने की विशेश रूप से निशेध होनी चाहिए ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां, (कर्नल वी.सी. खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टीवी पर्यवेक्षक)

3. सैद्धांतिक रूप से ब्राडकास्टर द्वारा प्रयोग किए गए चैनल के निर्धारण के दो कारक हैं; (i) आईआरडी उपलब्ध कराने की पूंजीगत लागत की तुलना में संभावित अभिदान भुल्क से राजस्व की वित्तीय समीक्षा, तथा

4. (ii) स्वच्छंद सीमांत विस्तार का संभावित असर । किसी भी मामले में सेवा प्रदाता को गैर–भेदभावपूर्ण भार्तें उपलब्ध करानी होंगी और आवेदक वितरक को दिया जाने वाला वाणिज्यिक प्रस्ताव समान होगाा । इसके बाद सिगनल फीड मुहैया कराने वाले सेन्टर/मध्यस्थ कोई ऐसा एमएसओ हो सकता है, जो परिचालन के उस क्षेत्र, जहां के लिए आवेदन किया है, के भीतर प्रचालन कर रहा हो । जहां मौजूदा एमएसओ सिगनल फीड मुहैया कराने से मना कर दे वहां ब्राडकास्टर गैर–भेदभावपूर्ण भार्तों पर सीधे सिगनल दे देगा । (स्टार)

3. बाजार को उसके द्वारा स्वतः निर्धारित तरीके से चलने देना चाहिए । यदि कोई ब्राडकास्टर एक एमएसओ को एजेंट के रू^प में नियुक्त करने का चयन करता है तो उसे ऐसे बाजार में अपने हित के विस्तार के लिए ही करना चाहिए । एक वितरण नेटवर्क स्थापित करने में लगने वाली बड़ी रािा को देखते हुए ऐसी संभावना है कि ब्राडकास्टर द्वारा नियुक्त एजेंट केबल उद्योग से ही होंगे । यदि एमएसओ को एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो इसका अर्थ होगा कि सभी केबल ऑपरेटर ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल प्रापत करने के पात्र नहीं होंगे, जो कि न तो वित्तीय दृश्टिकोण से व्यावहारिक है और न ही वाणिज्यिक आधार पर सभालने योग्य है । भारत में इस वक्त उपलब्ध 240 से ज्यादा चैनलों में से कोई भी चैनल नहीं है जिसे किसी एजेन्ट द्वारा एक चैनल के वितरण को सीमित करने पर 'जिसे बदला न जा सके' निर्धारित किया जा सके । (यूएसआईबीसी)

4. विनियम में यह स्पश्ट तौर पर विनिर्दिश्ट होना चाहिए कि एमएसओ को किसी ब्राडकास्टर को एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता । (ईएसपीएन)

5. एमएसओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसे प्रतिद्वन्दी एमएसओ पर एक विकृत बढ़त मिल जाती है । (बीएनबी केबल्स)

6. एमएसओ की ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रूप में नियुक्त सैद्धांतिक तौर पर गैर–प्रतिस्पर्धी होगी । (एएससी)

7. माननीय टीडीसैट ने सीटीवी के मामले में इस संबंध में पहले ही अपना निर्णय दे दिया है और इस फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में एक अपील लंबित है । इस संबंध में मुख्य मुद्दा है कि ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रू‍ में एमएसओ के दायित्व और एमएसओ के रू‍ में उसके व्यवसाय, जो अधिक से अधिक केबल ऑपरेटेरों को सिगनल प्रदान करना है, के बीच स्पश्टतः विरोधाभास है । ब्राडकास्टर न्यूनतम गारंटी के आधार पर निचले स्तर पर एमएसओ की एक वि ोश एजेन्ट के रूप नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं हो रही है और बाजार में असमंजस की स्थिति बन रही हैं । तदनुसार बहुत से केबल ऑपरेटरों को ब्राडकास्टर के सिगनल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एकाधिकार को बनाए रखने के लिए ये एमएसओ एजेन्ट एक अथवा अन्य कारण बताकर अपने प्रतिद्वन्दी केबल ऑपरेटरों को सिगनल उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं । एमएसओ की एजेन्ट के रूप में नियुक्ति करना प्रतिस्पर्धा के लिए पूर्ण रूप से हानिकारक है और यह वास्तव में एकाधिकार को बढ़ावा दे रही हैं । मामले को संदेह के दायरे से बाहर करने के लिए विनिमय 3.3 में एक और परंतुक जोड़कर इस प्रकार पढ़ा जाए, ब ार्ते कि मल्अी सिस्टम ऑपरेटर की प्रत्यक्ष या अप्रेत्यक्ष तौर पर ब्राडकास्टर या उसके प्राधिकृत वितरक एजेसी के एजेन्ट के रू‍ में नियुक्त नहीं की जा सकती । ‘’ (सिटी केबल)

8. चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में सीटीवी की सिविल अपील में न्यायाधीन है, आइएमसीएल जिसमें मध्यस्थ है, अतः आईएमसीएल कोई स्पश्ट टिप्पणी करने का इच्छुक नहीं है बजाए इसके कि इंटरकनेक्ट विनियम को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करने की आव यकता है और ट्राई द्वारा स्टेकहोल्डरों के प्र नों का उत्तर दिया जाना चाहिए । (आईएमसीएल)

9. वैसे भी एमएसओ को ब्राडकास्टर के संग्रहक के तौर पर कार्य करने का रूप दे दिया गया है । चूंकि इसी नेटवर्क के संबंध में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, अतः हैथवे का मत है कि इस संबंध में न्यायालय के निर्णये का इंतजार किया जाए और वे इसका पालन करेंगे । (हैथवे)

10. इन्टरकनेक्ट विनियम को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करने और ट्राई द्वारा स्टेकहोल्डरों के प्र नों का उत्तर दिए जाने की आव यकता है । यदि वास्तविक प्रतिस्पर्धी बाजार का विकास करना है तो सेवा प्रदाता को एजेन्ट के रूप में नियुक्त न किया जाए । (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

भुगतान में चूक करने वाले

- **क्या विनियम में यह आवश्यक कर देना चाहिए कि सेवाओं के लिए अपने अनुरोध के साथ आवेदक वितरक को वर्तमान संबद्ध एमएसओ से ऐसे वितरक से सिगनल फीड के माध्यम से या सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल प्राप्त करने वाले एलसीओ के संबंध में ''कोई बकाया देय नहीं'' का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां। (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. ''अव य उपलब्ध कराया जाए'' दायित्व से भुगतान में चूक करने वालों को नजरंदाज करने वाले प्रावधान का इस प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए कि उसमें ऐसे मामले भाामिल हों जहां एक एमएसओ एलसीओ को सिगनल उपलब्ध कराने के लिए अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने का इच्छुक हो और उसने अपने मौजूदा संबद्ध एमएसओ, या ब्राडकास्टर को भुगतान नहीं किया था, जहां एक एलसीओ या एलसीओ के समूह ने अपने स्वयं के हैड–एण्ड को स्थापित करने के लिए भुगतान नहीं किया था और ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल प्राप्त कर लिया था, और जहां टी वी चैनलों के वितरक के बोर्ड प्रमोटर किसी अन्य टीवी चैनल के भी प्रमोटर हैं, जिसने भुगतान करने में चूक की है । इसके अलावा ब्राडकास्टर के लिए परिचालनिक दृश्टिकोण से यह असंभव है कि वह यह जांच कर सके कि एक आवेदक–वितरक विनियम के अनुसार सेवा के प्रावधानों के पूर्व भी भुगतान करने में विफल रहा है । अतः स्टार इंडिया सिफारि ा करता है कि विनियम में एक दायित्व भाामिल किया जाना चाहिए कि आवेदक–वितरक अपने अनुरोध के साथ ऐसे वितरक या सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल फीड प्रापत करने की इच्छा के संबंध में वर्तमान संबद्ध एमएसओ से ''कोई बकाया देय नहीं'' का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें । विनियम में यह भी प्रावधान हो कि यदि कोई एमएसओ नए एलसीओ को जो पहले किसी ब्राडकास्टर से संबद्ध था, को बिना ''कोई बकाया देय नहीं '' प्रमाण पत्र लिए बिना सिगनल उपलब्ध कराता है तो ब्राडकास्टर को ऐसे एक एमएसओ को वियोजित करने का अधिकार होना चाहिए । (स्टार)

3. इस विनियम का सही अर्थ निकलता है । यह साधरणतः सुनि चत करने में सरल है कि नियमित रूप से चूक करने वाले ऑपरेटरों को बर्दा त नहीं किया जाएगा । (यूएसआईबीसी)

4. भुगतान में चूक करने वाले सभी लोगों से कड़ाई से निपटने की आव यकता है, जिसके लिए विनियम में सभी आवेदकों–वितरकों के लिए ऐसे वितरकों से या ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल फीड प्राप्त करने के इच्छुक एलसीओ के संबंध उनके

वर्तमान – संबद्ध एमएसओ से ''कोई बकाया देय नहीं '' का प्रमाण पत्र सेवाओं के लिए उनके अनुरोध के साथ लगाना आव यक कर देना चाहिए । (ईएसपीएन)

5. जी हां, वितरकों के माध्यम से या सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल फीड प्राप्त करने के इच्छुक एलसीओ के संबंध में उनके वर्तमान संबद्ध एमएसओ से ''कोई बकाया देय नही'' प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवेदक –डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आव यक कर दिया जाना चाहिए । (बीएनबी केबल्स)

6. अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना समस्या का वास्तविक निपटान नहीं है, इससे मुकदमेबाजी को और बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आऊटगोइंग सेवा प्रदाता किसी न किसी बहाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में विलंब करेगा, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और अंततः पूर्ण रूप से या आंि ाक रूप से ग्राहकों को सेवा प्राप्त होने से वंचित रहना पड़ेगा । यदि एनएसओ की इनपुट लागत समान रहती है तो एलसीओ का अंतिम मूल्य भी समान ही रहेगा और इस स्थिति में उपलब्ध कराई गई सेवा ही निर्धारण कारक रहेगी तथा इस स्थिति में बाजार को स्वतः निर्णय लेना चाहिए । (एएससी)

7. आवेदक–वितरक के लिए वर्तमान संबद्ध एमएसओ से प्राप्त ''कोई बकाया देय नहीं'' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वास्तविक निपटान नहीं है और इससे सभी प्रकार की समस्याएं और मुकदमेबाजी बढ़ेगी क्योंकि मौजूदा एलसीओ किसी संबद्ध एलसीओ को खोना नहीं चाहेगा । अतः ऐसी संभावना है कि वह एलसीओ के स्थानांतरण से बचने के लिए झूठी और नकली बकाया मांग रखे । ऐसे परिदृ य में एलसीओ से ''कोई बकाया देय नही'' प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में अन्य एमएसओ/एलसीओ को फीड उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेगा, जिससे एलसीओ को मौजूदा एमएसओ के साथ ही बने रहने को बल मिलेगा । ऐसा विनियम उद्योग की प्रगति के लिए घातक होगा और इससे वस्तुतः एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा । (सिटी केबल)

8. कोई बकाया देय नहीं प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता से समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद भी हो सकते हैं और स्थानांतरण करने वाला आवेदक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में असफल रह सकता है, जिससे दूसरों के साथ व्यवसाय करने का उसका अधिकार प्रभावित हो सकता है । (आईएमवीएस)

9. प्राधिकरण के लिए इन्टरकनेक्ट विनियम में प्रस्तावित संशोधन करना एक स्वागत योग्य कदम होगा । इस गतिशील और व्यवहारिक दृश्टिकोण से इस प्रणाली की सभी खामियों का निवारण हो जाएगा । (हैथवे)

10. कोई बकाया देय नहीं कि अनिवार्यता से समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद भी हो सकते हैं और स्थानांतरण करने वाला आवेदक प्रमाण–प्रत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में असफल रह सकता है और इससे अन्यों के साथ व्यवसाय करने का उसका अधिकार प्रभारित हो सकता है । (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

मौजूदा विनियम का विस्तार

सब्सकाइबर आधार

- **क्या सब्सक्रिप्शन करार की वैधता अवधि के दौरान सब्सकाइबर आधार निश्चित रहना चाहिए ?**
- **यदि नहीं, तो सब्सकाइबर आधार के आवधिक संशोधन के लिए क्या कार्य–पद्धति होगी ?**
- **क्या करार पर हस्ताक्षर करते समय ब्राडकास्टर एमएसओ को एलसीओ (सब्सकाइबर आधार/एकमुश्त भुगतान सहित)/हाउसहोल्ड की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य कर देना चाहिए ?**

- **नए सदस्यों के लिए सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण कैसे किया जाएगा ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. सब्सक्रिप्‍ ान करार की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार निि चत रहना चाहिए जब तक की उचित कारणों और औचित्य सहित करार सं ोधन करने के प्रावधान मौजूद न हों । सब्सक्राइबर आधार को आवधिक सुधार के लिए एलसीओ सहित ब्राडकास्टर एजेन्ट द्वारा एलसीओ के क्षेत्र में प्रत्येक घर की गणना के आधार पर सत्यापन नहीं किया जाना चाहिए । आद ति:, करार पर हस्ताक्षर करते समय ब्राडकास्टर/एमएसओ को एलसीओ (सब्सक्राइबर आधार/एकमु त भुगतान सहित)/हाउसहोल्ड की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य कर देना चाहिए । नए सदस्यों के सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण कैस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर, एक प्रौद्योगिक अनिवार्यता के रूप्‍ में आसान भार्तों पर एसटीबी खरीदने की व्यवस्था करके, जैसे कि टीवी के ऊपर आईपी और डीटीएच, और एसएमएस (सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में) एफटीए सामग्री को भून्य मूल्य देकर किया जाए । (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. करार जारी रहने की स्थिति के दौरान सब्सक्राइबर आधार में बदलाव आ सकता है और तदनुसार सब्सक्रिप्‍ ान फीस में सं ोधन किया जाना चाहिए । एलसीओ के बदलने के कारण पेड सब्सक्राइबर आधार में कोई वृद्धि या कमी सिर्फ तभी की जा सकती है जब सब्सक्रिप्‍ ान करार के हिस्से के रूप्‍ में संबद्ध एलसीओ द्वारा पेड सब्सक्राइबरों का एमएसओ द्वारा ब्रेक–अप देना अनिवार्य हो । चूंकि एमएसओ अपने संबद्ध एलसीओ और उनके पेड सब्सक्राइबर आधार की सूची उपलब्ध नहीं कराता, ब्राडकास्टर पेड सब्सक्राइबर आधार में किसी कमी का विरोध करने में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं । विनियम में यह अनिवार्य कर देना चवाहिए कि एलसीओ/एमएसाओ को अपने घोशित सब्सक्राइबरों (नाम और पते सहित) का विवरण एमएसओ को उपलब्ध कराएगा और एमएसओ ऐसी सूची को ब्राडकास्टर को उपलब्ध कराएगा । इससे एलसाीओ बदलने की स्थिति में एमएसओ की

सब्सक्रिप ान फीस को बढ़ाने/घटाने में ब्राडकास्टर को सुविधा मिलेगी । यदि ब्राडकास्टर औरर एमएसओ/केबल ऑपरेटर के बीच सब्सक्राइबर की संख्या के बारे में विवाद का कोई मामला हो तो ट्राई आगे आ सकता है और तात्कालिक आधार पर इस मामले को निपटने के लिए कोई कार्यविधि अपना सकता है । स्टार इंडिया का सुझाव है कि ट्राई स्वतंत्र प्रतिश्ठित तृतीय पार्टी एजेंसी (जैसे एसी नीलसन) नियुक्त करें जो कि सब्सक्राइबर संबंधित मामलों से निपटे (विवाद की स्थिति में सर्वेक्षण करके) । विवाद की किसी स्थिति में, एमएसओ/केबल ऑपरेअर तृतीय पार्टी एजेन्सी को अपने संबद्ध केबल ऑपरेटर और उनके संबंधित कनेक्ट सब्सक्राइबरों (उनके पूर्ण संपर्क ब्यौरे सहित) की सही और ठीक सूची उपलब्ध कराएगा । उसके बाद एक विनिर्दिश्ट समयावधि के भीतर स्वतंत्र प्रसिद्ध तृतीय पार्टी एजेंसी विनिर्दिश्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी । दोनों पार्टियों के लिए सर्वेक्षण की रिपोर्ट अंतिम और बाध्यकारी होगी । हारने वाली पार्टी द्वार सर्वेक्षण की लागत वहन करनी होगी । नए प्रवे ाकों के मामले में निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र या एलसीओ की सूची जिसे करार की अवधि के दौरान एसएसओ कनेक्ट करनी का प्रस्ताव रखता है, के अनुसार उनके परिचालन के क्षेत्र को परिभाशित किया जाएगा । तदनुसार, निर्धारित क्षेत्र के आधार पर या परिचालन क्षेत्र के भीतर संबद्ध एलसीओ के वर्तमान सब्सक्रि ान राजस्व के आधार पर ब्राडकास्टर भेदभाव रहित प्रस्ताव दे सकता है । स्टार इंडिया का मत है कि चूंकि नए प्रवे ाकों की संख्या ज्यादा नहीं होती, नए प्रवे ाकों के लिए वि ोश रूप से किसी विनियम की आव यकता नहीं है । (स्टार)

3. सब्सक्राइबर आधार निर्धारित नहीं होने चाहिए । भारतीय केबल टेलीविजन सब्सकाईबर तीव्र दर से वृद्धि कर रहा है, लेकिन अभी भी पूरा क्षेत्र इस समय केबल टेलीविजन द्वारा सेवित नही है । मौजूदा सब्सक्रि ान करार के दौरान सब्सक्राइबर आधार को फ्रीज करना न तो आव यक है और न ही न्यायसंगत । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अथवा ट्राई को भाक्तियां दी जानी चाहिए ताकि सेवा प्रदाताओं द्वारा सब्सक्राइबर आधार मुहैया कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा सके । मंत्रालय अथवा ट्राई द्वारा प्रत्येक वर्श कुछ दर्जन सेवा प्रदाताओं के "स्नैप

लेखा–परीक्षा'' को भुारू करने के लिए वि ोश सैल का गठन करने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि रिपोर्टिंग नियमों की समीक्षा का अनुपालन हो सके और बाजार में अंडर–रिपोर्टिंग की राि ा से संबंधित स्पश्ट तस्वीर प्राप्त हो सके । सब्सक्राइर्बर की अंडर–रिपोर्टिंग कॉपीराईट कानून का उल्लंघन है और बाजार की कीमत को विकृत करता है । एलसीओ (सब्सक्राइबर आधार/एकमु त भुगतान सहित)/ ब्राडकास्टरों के लिए हाउसहोल्डरों/एमएसओ की सूची मुहैया कराने के लिए करार पर हस्ताक्षर करते समय विनियम बनाना सही है । किसी उद्योग, केबल वितरण मे ंविनियम मे एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ने के लिए यह एक अत्यंत साधारण तरीका है जिसे आसानी से वनियमित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, वितरकों और एमएसओ दोनों को सब्सक्राईरों की संख्या जिसकी सेवा मुहैया करा रहे हैं, के संबंध में सही गणना मुहैया कराने के लिए बाध्य करना चाहिए । इसका निर्धारण ऑपरेटर के केबल आफिलिएटों और सब्सक्राईरों की पूरी सूची के प्रावधान सहित उस क्षेत्र वि ोश के ऑपरेटरों के परिचालन में आने वाली जनसंख्या से अनुमान लगाकर नए सदस्य के उत्पाद की प्रस्तावना और अपील (यूएसआईबीसी) की विधिवत अनुमति सहित उस क्षेत्र के केबल के प्रभाव का सर्वेक्षण होना चाहिए । (यूएसआईबीसी)

4. नए ग्राहको ंके परिदृ य में चल रही प्रकियाओं के आधार पर एमएसाओ/एलसीओ को समर्थ होना चाहिए । इसी प्रकार ग्राहकों को एमएसओ/एलसीओ के विन्यास से चयन करने में समर्थ होना चाहिए । एमएसओ द्वारा तिमाही आधार पर ब्राडकास्टरों को अपने सब्सक्राइबरों की एक सूची मुहैया करानी चाहिए । यह सूची हाउसहोल्ड पतों, सब्सक्राइबरों के नाम और संपर्क करने से संबंधित विवरणों सहित भौगोलिक वर्गीकरण के रूप में होनी चाहिए । यह सूची ब्राडकास्टरों, को यदि वे चाहते हैं तो सेवा गुणवत्ता की स्पॉट जांच की अनुमति प्रदान करेगी । डाटा माईनिंग का यह स्तर सभी पार्टियों–ब्राडकास्टरों, एमएसओ और एलसीओ का वि ोश प्रोत्साहक प्रस्तावों के अभिकल्प तैयार करने में सहायता भी प्रदान करेगा । सूचियों में जोड़े गए नए सब्सक्राइबरों और सूची मे से हटाए गए सब्सक्राइबरों का

ब्यौरा तिमाही आधार पर द ार्या जाए । मासिक आधार पर करार के हस्ताक्षर के समय अपने सब्सक्राइबर आधार सहित एलसीओ की सूची ब्राडकास्टरों/एमएसओ को मुहैया कराना अनिवार्य कर देना चाहिए । इसे भुगतान दायित्व के संदर्भ में लगभग 50–60 प्रति ात की न्यूनतम गारंटी देनी चाहिए । नए प्रवे ाकों के लिए सब्सक्राइबर आधार उस क्षेत्र में केबल सेवाओं के प्रभाव के मौजूदा स्तर पर निर्धारित किया जाए । (एमपीए)

5. सब्सक्राइबर आधार का करार में उल्लेख किया जाना चाहिए । इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी/गिरावट को इस प्रकार से निपटाया जाना चाहिए जैसे (क) सभी एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के लिए अपने सब्सक्राइबर बेस की सूची मासिक आधार पर ब्राडकास्टर को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए; (ख) एलसीओ के लिए भी इसी प्रकार की सूची फाइल की जानी चाहिए । (ग) यह डाटा ट्राई के वेबसाइट पर भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि पारद िता को बढ़ावा मिल सके । नए चैनलों/इन्टैंटों के मामले में सब्सक्राइबर आधार करार करने वाली दो पार्टियों (ईएसपीएन) के बीच बातचीत से संबंधित होना चाहिए । (ईएसपीएन)

6. सब्सक्राइबर आधार सब्सक्रि ान करार की वैधता के निबंधन के दौरान पुनः निर्धारित होनी चाहिए क्योकि ब्राडकास्टरों द्वारा वि ोश रूप से किसी बड़े आयोजन से पूर्व अपने सब्सक्राइबरों की संख्या को बढ़ाने के लिए भांति–भांति के अनुचित तरीके अपनाए जाते हैं । करार के हस्ताक्षर के समय सब्सक्राइबरों की सूची की व्यवस्था का दायित्व अनिवार्य नहीं होना चाहिए । सब्सक्राइबर आधार की न्यूनतम रा ि सही रूप से निर्धारित होने चाहिए ताकि इससे भी संबद्ध पक्ष आहत न पहुंचे । (बीएनबीकेबल्स)

7. गैर एड्रेसिवल माहौल के मामले में करार की अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार हमे ाा नि चत होना चाहिए और एड्रेसिवल माहौल के मामलों में यह सब्सक्राइबरों की वास्तविक संख्या पर आधारित होने चाहिए । यह महत्वपूर्ण है कि कीमत फ्रीज की अवधि के दौरान नेटवर्क से कुल बहिर्गमन को भी फ्रीज कर देना

चाहिए । गैर एड्रेसिवल माहौल के मामले में आवधिक सं ाोधन उस क्षेत्र मे हाउसहोल्डों की संख्या में वृद्धि होने पर किसी प्रकार के नए निर्माण के आधार पर किए जा सकते हैं । करार पर हस्ताक्षर करने के समय सब्सक्राइबर आधार सहित एलसीओ सूची उपलब्ध होना कठिन है, बहरहाल, यह अनिवार्य किया जा सकता है कि करार पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर प्रणाली से संबद्ध एलसीओ के नाम सहित सूची उपलब्ध कराई जा सकती है । नए इन्ट्रैंट के सब्सक्राइबर आधार को सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम एंट्री स्तर के रूप में नि िचत किया जा सकता है । (एएससी)

8. ट्राई ने पूर्ववर्ती पराम र्ा नोट और दस्तावेजों में विधिवत रू ्प से यह मान्यता दी है कि गैर कैस क्षेत्र में इंटरकनेक्ट करार ''नेगोि ाएटडि सब्सक्राइबर बेस'' के आधार पर होते हैं । चूंकि नेगोि ाएटिड सब्सक्राइबर संख्या वितरण अंतर की देखभाल करता है और सब्सक्राइबरों के लिए समाविश्ट आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता है, इसलिए सब्सक्रि ्प ान करार की वैधता की अवधि से पहले इसे नि िचत किया जाना चाहिए । चूंकि नेगोि ाएटिड सब्सक्राइबर आधार के आधार पर ब्राडकास्टर और टीवी चैनलों के वितरकों के बीच समझौते हो गया है, इसलिए एलसीओ आदि की सूची उपलब्ध कराना प्रासंगिक और जरूरी नहीं है क्योंकि ब्राडकास्टरों द्वारा इस सूची का गलत उपयोग किया जा सकता है और ब्राडकास्टरों द्वारा यह आरोप लगाते हुए करार के हस्ताक्ष्र के समय सूची में सब्सक्राइबर आधार के बारे में जो उल्लेख किया गया है उसकी उपेक्षा उक्त सूची में एलसीओ के आंकड़े काफी अधिक है और इसके लिए अधिक भ्ाुल्क की मांग करके टीवी चैनलों के वितरकों को परे ाान किया जा सकता है । इसके विकल्प के रूप में जब गैर कैस क्षेत्राों के लिए ब्राडकास्टरों के साथ इंटरकनेक्ट करार होता है तब चैनलों के वितरकों (एलसीओ से एमसीओ) द्वारा सब्सक्राइबरों के वि ोश नम्बर के संबंध में की गई घोशणा के आधार पर अंततः निगोसिएटेड नम्बर का रूप देना चाहिए । इस प्रकार एमएसओ से जुड़ने वाले एलसीओ के आधार पर घोशित किए गए सब्सक्राइबर आधार में यदि किसी प्रकार की वत्रद्धि हो या तो उस क्षेत्र में या नए क्षेत्र में होती है अथवा एमएसओ अपने परिचालन का विस्तार करता है तो इन सभी को क्षेत्र में

होती है अथवा एमएसओ अपने परिचालन का विस्तार करता है तो इन सभी को सब्सक्राइबर आधार में भाामिल किया जाना चाहिए । इस प्रकार, जब कभी प्रवसन की प्रक्रिया होती है तब घोशित किए गए सब्सक्राइबर आधार में किसी प्रकार की वृद्धि होने अथवा घोशित किए गए सब्सक्राइबर आधार में किसी प्रकार की कमी होने दोनों की स्थिति में उक्त के संबंध में उचित समाधान करने चाहिए और घोशित किए गए सब्सक्राइबर आधार को अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों रूप में सं ाोधन किया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले को आवधिक अंतराल पर समा ाोधन प्रक्रिया के जरिए निपटाया जा सकता है और तदनुसार समायोजन किया जा सकता है । नए प्रवे ाकों के लिए एक मात्र प्रणाली यह है कि किसी वि ोश अवधि के लिए ब्राडकास्टरों के साथ निगोसिएटेड सेटलमेंट किए जाएं जिससे ग्राउण्ड स्तर पर चैनलों के वितरक के वास्तविक निश्पादन के आधार पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी समीक्षा की जा सके । (सीटी केबल)

9. ब्राडकास्टरों को संबंधित घोशणा–पत्र की सूची सहित एलसीओ की सूचियां उपलब्ध कराने की कोई आव यकता नहीं है । एमएसओ जैसी आईएमसीएल वास्तविक सब्सक्राइबर आधार एलसीओ का ब्यौरा मुहैया नहीं कराने का मुख्य कारण यह है कि एमएसओ के साथ एलसीओ भी अपने काल्पनिक सब्सक्राइबर आधार के आधार पर निगोसिएट करता है और मासिक सब्सक्रिप ान भाुल्क का पूर्व निर्धारित कीमत का भुगतान करता है । वास्तव में कोई भी एमएसओ इसकी सच्चाई और एलसीओ के प्रामाणिक सब्सक्राइबर आधार से अवगत नहीं है । दूसरी ओर यदि कतिपय सब्सक्राइबर आधार को विनियम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण और आव यक समझा गया था तो एड्रेसिबिलिटी के न होने पर एलसीओ द्वारा सेवा कर/मनोरंजन कर की घोशणा अथवा स्वतः घोशणा करके इस प्रकार का उपयोग ही एक मात्र व्यवहार्य प्रक्रिया है (जैसाकि आईएमसीएल द्वारा अपेक्षित हो और जब तक यह प्रतिकूल न हो अन्यथा एक मामले से दूसरे मामले के आधार पर) नए प्रवे ाक के लिए सब्सक्राइबर आधार एमएसओ के लिए न्यूनतम 300 कनेक ान और एलसीओ के लिए न्यूनतम 50 कनेक ान होने चाहिए । (आईएमसीएल)

10. किसी भी व्यवसाय की गति ीलता हमे ा स्थिर नहीं होती है । बहरहाल, करार की अवधि के दौरान स्थायित्व और औचित्य को बनाए रखने के लिए इस पर सहमति हुई है कि निगोसिएटेड सब्सक्राइबर आधार को स्थिर और फिक्सड बनाए रखने के लिए अनुमति देनी चाहिए । यदि इसे मासिक आधार पर अथवा अल्प समय/अवधि के आधार पर अस्थिर बनाए रखने के लिए अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामस्वरूप अधिक विरोध और मतभेद पैदा हो सकते हैं । इसके अलावा, निगोसिएटेड सब्सक्राइबर आधार किसी वि ोश चैनल अथवा चैनलों के समूह अथवा चैनलों के समूह/मांग के अनुसार एक या दो चैनलों सहित गैर मूविंग चैनलों के अंतर्गत एक चैनल की मांग को क्रियांकित करना है । कैस इसका एकमात्र हल है । किसी भी मामले में प्राधिकरण यदि कोई विचार प्रकट करता है जो मौजूदा पराम र्ा दस्तावेज आधारित और इसके तहत विचाराधीन होता है तब किराए के बिल के आधार के साथ–साथ डीलरों जैसे एमएसओ/एलसीओ के लिए वितरण अंतर से संबंधित उठाए गए मुद्दों के लिए इसमें बिना किसी विलंब के एड्रेस्ड की आव यकता पड़ती है । मौजूदा पराम र्ा पेपर के माध्यम से विवादों को कम करने का प्राधिकरण का उद्दे य निश्फल हो जाएगा यदि इसमें आवधिक आ ोधन किया जाता है । यदि निगोसिएटेड सब्सक्राइबर आधार जैसाकि 1 अक्तूबर, 2004 को ट्राई भी सिफारि ों में मान्यता दी गई है) होता है तो एलसीओ और हाऊसहोल्डों से संबंधित सब्सक्राइबरों की सूची मुहैया कराने का कोई औचित्य नहीं हो । इसके अलावा, एमएसओ अपने वैल्यूमों से केवल निगोसिएटेड भाुल्क का एकमु त प्राप्त करेगा जैसाकि पे ब्राडकास्टर एमएसओ से प्राप्त करता है । इसके अतिरिक्त,यह स्थिति हो गई है कि एमएसओ निगोसिएटेड सब्सक्राइबरों के लिए लोकप्रिय पे ब्राडकास्टरों से भुगतान करने वाले/सब्सक्राइबरों/एलसीओ घोशणा से प्राप्त धनरा ि की अपेक्षा अधिक सब्सक्रिप ान भाुल्क का भुगतान कर रहा है । नए प्रवे ाकों के लिए सब्सक्राइबर आधार को निगोसिएटेड और/अथवा सहमत सब्सक्राइबर के आधार पर निर्धारित किया जाए । (हैथवे)

11. सब्सक्राइबर करार की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार को नि चत रहनी चाहिए जोकि एक वर्श है । सब्सक्राइबर आधार में प्रत्येक वर्श करार के

नवीकरण के समय अथवा करार के एक वर्श पूरा होने के बाद सं ोधन किया जाना चाहिए । ब्राडकास्टरों को संबंधित घोशणा–पत्र की सूची सहित एलसीओ की सूचियां उपलब्ध कराने की कोई आव यकता नहीं है । एमएसओ द्वारा एलसीओ के सब्सक्राइबरों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराने का मुख्य कारण है कि वह एमएसओ के साथ एलसीओ भी अपने काल्पनिक सब्सक्राइबर आधार के आधार पर निगोसिएट करता है और मासिक सब्सक्रिप ान भुाल्क की पूर्व निर्धारित कीमत का भुगतान करता है । दूसरी ओर यदि कतिपय सब्सक्राइबर आधार को विनियम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण और आव यक समझा गया था तो एड्रेसिबिलिटी के न होने पर एलसीओ द्वारा सेवा कर/मनोरंजन कर की घोशणा अथवा स्वयं घोशणा करके इस प्रकार का उपयोग ही एक मात्र व्यवहारिक प्रक्रिया है । नए प्रवे ाक के लिए सब्सक्राइबर आधार एमएसओ के लिए न्यूनतम 300 कनेक ान और एलसीओ के लिए नूयनतम संख्या 50 कनेक ान होने चाहिए । ब्राडकास्टरों की ग्रामीण योजना के तहत सब्सक्राइबरों की 300 न्यूनतम संख्या और भाहरी बाजार में 500 के आधार पर बॉक्स देने की परिपाटी रही है जिसकी अनुमति दी जा सकती है । (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दे

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर

- **क्या केबल ऑपरेटर जिसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटेर के रूप में परिभाशित किया गया है के लिए सब्सकाईबरों की संख्या का किसी न्यूनतम संख्या और अन्य मापदंड का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि वह ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त करने का पात्र हो जाए ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी नहीं । (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. एक एमएसओ के अंतर्गत सब्सक्राइबरों की संख्या विभिन्न कारणों (आकार, भौगोलिक स्थिति आदि सहित) पर निर्भर होती है । अतः सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर एमएसओ को परिभाशित करना काफी कठिन है । अतः ब्राडकास्टरों

द्वार भेदभाव रहित आधार पर एमएसओ को परिभाशित करने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए । (स्टार)

3. सभी वितरकों और एमएसओ (सब्सक्राइबर की संख्या, तकनीकी मापदंडों, वित्तीय आव यकताओं) के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में एकरूपता होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे पूरी तरह वाणिज्यिक निर्णय होना चाहिए कि क्या वे अपने सिगनलों को सीधे मुहैया करना चाहते हैं । (यूएसआईबीसी)

4. जैसाकि अधिनियम में उल्लेख किया गया है ''एमएसओ'' को सब्सक्राइबरों की संख्या के न्यूनतम के रू‍ में परिभाशित किया जाना चाहिए और केबल ऑपरेटर के लिए अन्य मापदंडों को ''मल्टी सिस्टम ऑपरेटर'' के रूप में परिभाशित किया जाना चाहिए ताकि ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त करने के पात्र हो जाए । (ईएसपीएस)

5. सब्सक्राइबरों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे इस सेक्टर में नए प्रवे ाकों के आगमन ब्लॉक हो जाएंगे और मौजूदा केबल ऑपरेटर जो एमएसओ बनने की अकां ा रखते हैं, की उम्मीदों पर भी पानी फिर जाएगा । अतः इससे मौजूदा एमएसओ और भाक्ति ाली तथा प्रभावी बन जाएंगे, जिससे एकाधिकार बाजार का सृजन होगा और ग्राहक इससे आहत होंगे । (बीएनबी केबल्स)

6. भारत की विस्तृत डेमोग्राफी के कारण एमएसओ के रूप में परिभाशित किए जाने वाले केबल ऑपरेटर की संख्या का वि ोश रू‍ से उल्लेख करना कठिन है । मौजूदा समय में परिभाशा की आव यकता पूरी तरह सैद्धांति है क्योंकि वर्तमान एमएसओ बड़ी सीमा तक हेड एण्ड रीच पर आधारित होकर करार करते हैं और उसके बाद उसे एक करार में समेकित करते हैं । इसको ब्राडकास्टर के ऊपर छोड़ा जा सकता है । (एएससी)

7. एमएसओ की सही तकनीकी परिभाशा है कोई कंपनी/संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों अथवा पूरे राज्य अथवा दे ा में मल्टीपल हेडेन्डों पर परिचालित है । इसके अतिरिक्त भारी संख्या में स्वतंत्र केबल ऑपरेटर भी हैं जो सिंगल हेड एण्ड (कंट्रोल रूम) के रू‍ में परिचालित हैं और सब्सक्राइबरों को सीधे सेवा मुहैया कराने के साथ–साथ अन्य एलसीओ जिसका कार्य ग्राहकों को सिगनल मुहैया करना होता है को सिगनल फीड भी उपलब्ध कराते हैं । ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त करने के लिए योग्य अथवा पात्रता प्राप्त करने के लिए एमएसओ/स्वतंत्र एलसीओ को 3000 कनेक ानों के न्यूनतम समग्र सब्सक्राइबर आधार समूह सहित कम से कम 25 केबल ऑपरेटरों को अपने नेटवर्क से जोड़ना चाहिए । (सिटी केबल)

8. ब्राडकास्टरों, एमएसओ से भाहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 500 कनेक ानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 कनेक ानों के लिए मांगता है । चूंकि इनके द्वारा इस आद ा को व्यवसाय में अपन लिया गया है इसलिए इसे जारी रहने दिया जाए । (आईएमसीएल)

9. अन्तरसंयोजन विनियम में प्रस्तावित सं ाोधन प्राधिकरण के लिए स्वागत योग्य कदम है यहां तक कि एक व्यक्ति/एलसीओ, एमएसओ के रूप में दावा प्रस्तुत करता है और मौजूदा प्रणाली को अव्यवस्थित करने की कोि ा ा करता है । एमएसओ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और यह एक जटिल व्यवसाय है क्योंकि यह सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है । अतः प्रस्ताव है कि एमएसओ के रूप में पात्रता के लिए न्यूनतम 50 एलसीओ और कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर आधार होना चाहिए । (हैथवे)

10. ब्राडकास्टरों, एमएसओ के लिए भाहरी क्षेत्रों में न्यूनतम कनेक ानों और ग्रामीण क्षेत्राों के लिए 300 कनेक ानों की मांग करते हैं । चूंकि इनके द्वारा इस आद ा को व्यवसाय में अपना लिया गया है इसलिए इसे जारी करने की अनुमति दी जाए । (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दे

करारों का नवीकरण

- **क्या मौजूदा ठेका की समाप्ति से पूर्व करारों के नवीकरण के लिए किसी प्रकार की समय–सीमा निर्धारित की गई है ताकि यदि करार का नवीकरण नहीं किया जा सका तो मौजूदा संविदा की समाप्ति के बाद उन चैनलों को बंद करने के संबंध में सब्सकाइबरों को अग्रिम नोटिस के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके ।**
- **किसी ठेके की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद समझौते के दौरान ठेका को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां । यह चैनलों को बंद करने के लिए जारी किए गए नोटिस की अवधि से लगभग 4 सप्ताह अधिक होना चाहिए । किसी ठेके की वैधता समाप्त हो जाने के बाद समझौते के दौरान संविदा को आगे बढ़ाने की स्थिति केवल तब उत्पन्न हो सकती जब सेवा को यहां तक कि करार की वैधता अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी बाधित नहीं किया गया हो । सेवा को जारी रखने और पिछले करार की समाप्ति की तारीख से पूर्व प्रभावित नए निगोसिएटेड दरों के लेवी के लिए तर्क रहना चाहिए । जब कभी सेवा बाधित होती है तब सेवा की बहाली की तारीख से नई दरों को लागू किया जाना चाहिए । (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त)– केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. एमएसओ/केबल ऑपरेटरों, जो अपने करार के नवीकरण करना चाहते हैं, को उनकी मौजूदा करार की अवधि की समाप्ति से कम से कम दो महीने पहले लिखित अनुरोध भेजा जाना चाहिए । लिखित अनुरोध के साथ एमएसओ/केबल ऑपरेटर द्वारा (i) डाकघर लाइसेंस (ii) प्राधिकृत व्यक्ति के फोटोग्राफ (iii) पते का प्रमाण (iv) फोटो

पहचान–पत्र (v) चार्टर दस्तावेज (vi) प्राधिकरण का पत्र (vii) कोई बकाया नहीं से संबंधित प्रमाण पत्र और (viiii) ऐसे दस्तावेजों जो कि ब्राडकास्टरों द्वारा मांगी जा सकती है, से संबंधित विभिन्न सूचना/दस्तावेज भिजवाए जाने चाहिए । एक नए संविदा के निशपादन के बिना संविदा को बढ़ाने के प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए । यदि उनकी सेवा को अनुमति दी जाती है तो यह ब्राडकास्टर द्वारा अप्राधिकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटर हेतु सिगनल की वैधता पर असर डालेगी । (स्टार)

3. जी नहीं, ट्राई द्वारा मौजूदा करारों के नवीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए । यह एक व्यवसाय दर व्यवसाय प्रक्रिया है और इसे विनियमित करने की आव यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त, करारों के नवीकरण की समय–सीमा निर्धारित करना प्रवर्तन के उपयों को भुारू करके अपरिहार्य रूप से आव यक होंगे । इस प्रकार के उपाय को नवीकरण प्रक्रियाओं के स्टॉलिंग के माध्यम से एक पार्टी अथवा अन्य के द्वार दुरूप्योग किया जा सकता है । संविदा की समाप्ति के बाद समझौते के दौरान संविदा को बढ़ाने के लिए या तो मूल संविदा के रूप से अथवा तदर्थ आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसा विनियम, जो वि ोश भार्तों की लागू करने के है, लाभदायी नहीं होगा और इसलिए विनियम लिखित रूप में इस प्रकार होना चाहिए ताकि उसमें अवधि को अनिवार्य रूप के बढ़ाने के उपबंध हो । संविदा की समाप्ति के बाद ऐसा विनियम अपरिहार्य रूप में एक पक्ष अथवा अन्य के पक्षधर होगा । (यूएसआईबीसी)

4. मौजूदा ठेकों की अवधि की समाप्ति से पूर्व करारों के नवीकरण के लिए अधिनियम/नियमों में नि चत समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ताकि यदि करार का नवीकरण नहीं किया जा सकता तो मौजूदा करार की समाप्ति के बाद उन चैनलों के काटे जाने के संबंध में सब्सक्राइबरों को पर्याप्त अग्रिम सूचना मिलनी चाहिए । मौजूदा ठेका की समाप्ति के बाद बातचीत के लिए तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए और इस अवधि के दौरान ऑपरेटर (एमएसओ/एलसीओ) द्वारा जब ठेका का नवीकरण नहीं हो जाता है

अथवा सेवाओं को बंद नहीं कर दिया जाता है अंतिम सहमत सब्सक्राइबर आधार पर उन अवधि जिसके तहत वे ब्राडकास्टर से सेवाएं प्राप्त किया हो, के लिए चैनलों के उस समय के मौजूदा दर पर भुगतान किया जाना चाहिए । (ईएमपीएन)

5. जी हां, पुराने ठेका की समाप्ति के पहले के करारों का नवीकरण के लिए निि चत समय–सीमा का निर्धारण होना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर परे ाान न हो और वे किसी चैनल को जारी रखने के मामले में पर्याप्त अग्रिम सूचना प्राप्त कर सके । (बीएनबी केबल)

6. करार का नवीकरण पिछले करार की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले किया जाना चाहिए । यदि पिछले करार की वैधता अवधि के भीतर करार को बंद नहीं किया जाता है और उस क्षेत्र में परिवार के किसी नए निकाय नहीं होता तब तक पिछले करार को वैध माना जाना चाहिए और अगले तीस दिन में उसे बंद नहीं किया जाता है तब विनियामक को आदे ा जारी कर देना चाहिए जो कि अगले तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर आधारित हो और इस अंतरिम अवधि में ब्राडकास्टर अथवा इसके वितरक सेवाओं को बंद करने के लिए किसी प्रकार के कदम नहीं उठाया जाना चाहिए । (एएससी)

7. आद ातः करार 3 वर्शों की अवधि के लिए होने चाहिए और वाणिज्यिक भार्तों के संबंध में 12 महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद पुनः विचार किया जा सकता है । वाणिज्यिक भार्तों के निपटारे के लिए 12 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले और कम से कम 30 दिन पहले बातचीत भाुरू कर देनी चाहिए और उक्त 12 महीनों की अवधि की समाप्ति के पहले उसका निपटारा करने के प्रयास किए जाने चाहिए । यदि ब्राडकास्टर द्वारा कतिपय अनुचित भार्तें लगाई जाती है तो चैनलों के वितरक जो इससे निजात पाने के लिए इच्छुक हो को 12 महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद तत्काल टीडीएसएटी से संपर्क करना चाहिए । यदि ट्राई द्वारा मानक करार विनिर्दिश्ट किया जाता है तो इस

प्रकार के अधिकां ा मतभेदों को दूर किया जा सकता है और नवीकरण के कार्य में तेजी लाई जा सकती है । 12 महीनों की अवधि/करार के बीत जाने के बाद भी, जैसे भी उपर उल्लेख किया गया है, यदि वि वास पर लेन–देन चलता रहता है, तो नई अवधि के लिए नए वाणिज्यिक भार्तों को पूरा करने तक इसे जारी रखा जा सकता है और चैनलों को काटा नहीं जाएगा और जैसे ही नए वाणिज्यिक भार्तों को पूरा किया जाता है, वे स्वतः नई अवधि की भाुरूआत की तारीख से लागू हो जाएंगे । (सीटी केबल)

8. करार और उसके नवीकरण की समय सीमा एक वर्श से कम और उसके बाद आपसी सहमति के बगैर नहीं होगी । ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि करार एक वर्श प चात् समाप्त होगा और इसका नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अंतर संयोजन करार का उल्लंघन माना जाएगा । लाइसेंसी द्वारा अन्तर संयोजन करार पर हस्ताक्षर करते ही यह लाइसेंस अवधि के लिए वैध होगा और इसको किसी प्रकार से काटा जाना पर अपवाद होगा न कि नियम और इसकी अनुमति तभी दी जाएगी जब अन्य सभी प्रयोग इसे निपटाने में असफल हों । यदि ये संविदाएं दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं तो यह व्यवसाय अनि चत होगा और इस व्यापार में निवे ा करना कभी भी सुरक्षित नहीं होगा और इससे न केवल सेवा प्रदाताओं बल्कि उपभोक्ताओं को भी परे ानी का सामना करना पड़ेगा यदि अपने सेवा प्रदाता प्रति वर्श बदलते रहेंगे । कई न्यायिक मामलों में यह देखा गया है जब कभी भी करार में नवीनीकरण होता है, ब्रॉडकास्टर्स राजस्व बढ़ाने अन्यथा सेवाएं न देने या संविदा का नवीनीकरण न करने की धमकी देते हैं यह ब्रॉडकास्टर्स की ओर एक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार भी है, क्योंकि वे एक वर्श के लिए सब्सकाइबर आधार की निर्धारित संख्या तथा सब्सकाइबरों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के करार पर हस्ताक्षर पर जोर डालते हैं । वे नए करारें पर भी हस्ताक्षर करने पर जोर डालते हैं । यदि कोई करार है तो यह लाइसेंसिंग के लिए या प्राधिकृत वितरण के लिए होना चाहिए तथा भुगतान समय–समय पर घोशित किए गए सब्सकाइबर आधार के आधार पर होना चाहिए न कि वार्शिक संविदा के आधार पर । संविदा को बढ़ाने के लिए यह उचित होगा कि समझौता–वार्ता 60 दिन पूर्व भाुरू की जाए ताकि समझौता–वार्ता के लिए दिए गए 30 दिन और यदि पार्टियां करार तक पहुंचने में

सफल नहीं हो पाती तो इस 30 दिन के अंदर टीडीसैट से संपर्क किया जा सके । (आईएमसीएल)

9. जब तक पुराने करार या मौखिक करार लागू हैं तब तक इस कार्य को जारी रखा जाना चाहिए । यदि समझौता वार्ता पूर्णतः विफल हो जाती है तो उस मामले में ब्राडकास्टरों/एमएसओ से एमएसओ/एलएसओ, जैसा भी मामला हो, को एक महीने का नोटिस दिया जाना आव यक है और यदि प्रभावित पार्टी के अधिकारों का हनन होता है तो प्रभावित पार्टी न्याय के लिए संबंधित फोरम से संपर्क कर सकती है । उस समय तक अन्तरसंयोजन क्षेत्र से जुड़ी पार्टियों को वार्ता के माध्यम से करार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । प्राधिकरण को एक स्पश्टीकरण देना चाहिए कि मौखिक व्यवस्था/मौखिक करार सिस्टम में मूल्य श्रृंखला के बीच आपसी संबंध निर्धारित करने के लिए समझौते के एक भाग के रूप में होना चाहिए । करार कम से कम तीन वर्श तक लागू रहना चाहिए तथा सब्सक्राइबरों की दर तथा संख्या या परस्पर वार्ता द्वारा सहमत एकमु त आवधिक अं ादान भुाल्क या चैनलों की संख्या, जैसा भी मामला हो, ऐसे वाणिज्यिक कार्यकलापों को 12/18 महीने के उपयुक्त अंतराल पर पुनः सही किए जाने की आव यकता है । (हैथवे)

10. किसी करार की समय सीमा तथा उसका नवीकरण एक वर्श से कम नहीं होना चाहिए तथा इसके प चात इसे आपसी समझौते से बढ़ाया जा सकता है । ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि करार एक वर्श बाद समाप्त हो जाते हैं तथा उनका नवीकरण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ''मस्ट प्रोवाइड'' अन्तरसंयोजन विनियम की अवहेलना है । आद ातः लाइसेंसधारी जब एक बार अन्तरसंयोजन करार पर हस्ताक्षर कर लेता है तो यह लाइसेंस की अवधि तक मान्य होना चाहिए तथा किसी प्रकार का वियोजन अपवाद के रूप में होना चाहिए न कि नियम के रूप में तथा इसकी अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए यदि विवाद सुलझाने के सभी तरीके निश्फल हो जाएं । यदि ये संविदाएं लंबी अवधि की संहिता नहीं हैं तो यह व्यवसाय अनि चत होगा तथा इस व्यवसाय में किया गया निर्णय कभी भी सुरक्षित नहीं होगा और न केवल सर्विस प्रदाता बल्कि

उपभोक्ता को भी परे ाानी का सामना करना पड़ेगा यदि प्रति वर्श सर्विस प्रदाता को बदलना पड़ा । बहुत से कोर्ट केसों से यह स्पश्ट है कि जब कभी किसी करार का नवीकरण करना होता है, तो ब्राडकास्टर सेवा बंद किए जाने या संविदा का नवीकरण करने से इंकार करने की धमकी से राजस्व में वृद्धि करने के लिए नोटिस भेज देते हैं । ब्राडकास्टरों की ओर से यह भी एक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है चूंकि वे एक वर्श के लिए सब्सक्राइबरों की निर्धारित संख्या तथा सब्सक्राइबरों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के करार पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करते हैं । वे नए करारों पर हसताक्षर करने का आग्रह करते हैं । यह अनुभव किया गया है कि यदि करार होता है तो यह लाइसेंसिंग या प्राधिकृत वितरण के लिए होना चाहिए तथा भुगतान घोशित किए गए सब्सक्राइबर आधार के आधार पर होना चाहिए । संविदा को आगे बढ़ाने के लिए, यह उचित होगा कि समझौता वार्ता 60 दिन पूर्व भाुरू की जाए ताकि समझौता–वार्ता के लिए 30 दिन दिए जाते हैं और 30 दिन तक यदि पार्टियां करार करने में सफल नहीं हो तो टीडीसैट से संपर्क किया जा सके । (सीओएफआई)

परामर्श के लिए मुद्दा

एफ टी ए चैनलों का पे–चैनलों में बदलाव

- **क्या एफ टी ए चैनलों को पै–चैनलों में बदलने के लिए अग्रिम नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि यदि सेवा–प्रदाता करार नहीं कर पाता है तो एफ टी ए चैनलों को पे–चैनलों में बदले जाने की तारीख से वियोजित किए जाने के संबंध में सब्कसकाइबरों को पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम नोटिस मिल जाए ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां, कम से कम तीन माह । (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. एफ टी ए चैनलों को पे–चैनलों में परिवर्तित इसलिए किया जाता है ताकि ब्राडकास्टर एसएसओ/केबल ऑपरेटरों से अं दान राजस्व का संग्रहण कर सकें अतः ब्राडकास्टरों के लिए यह उपयुक्त होगा कि चैनलों का रूपांतरण करने से पूर्व वे एमएसओ/केबल ऑपरेटरों से बातचीत कर लें । यदि ब्राडकास्टर और एमएसओ/केबल ऑपरेटर करार करने में सफल नहीं हो पाते, तो विनियम के खंड 4.1 (क) के अनुसार ब्राडकास्टर और उपभोक्ता को एक सप्ताह का नोटिस दिया जानाा चाहिए । (स्टार)
3. यह मान लेना सुरक्षित होगा कि ब्राडकास्टर और एमएसओ/केबल ऑपरेटर निः ुल्क से पे चैनल में रूपांतरण की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व वाणिज्यिक समझौता–वार्ता कर लेंगे । बहरहाल, जो पार्टियां रूपांतरण के करार तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें उनके मौजूदा करार की समाप्ति पर निः ुल्क चैनलों के लिए समझौता–वार्ता करने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए । यदि ट्राई नोटिस अवधि का निर्धारण करना चाहता है तो 7 दिन की अवधि पर्याप्त होगी । (एमपीए)

4. इस अधिनियम में एफटीए चैनलों को पे–चैनलों में परिवर्तित करने के लिए 2 माह का अग्रिम नोटिस दिए जाने का उल्लेख होना चाहिए ताकि यदि सर्विस प्रदाता कोई करार नहीं कर पाते हैं तो सब्सक्राइबरों को पे–चैनलों में रूपांतरण की तारीख से चैनलों के काटे जाने के संबंध में पर्याप्त नोटिस दिया जा सके । (ईएसपीएन)
5. बेसिक सेवाओं के टैरिफों में किसी वृद्धि से बचने के लिए पे चैनल में परिवर्तित होने वाले एफटीए चैनलों के एसटीबी पर कैस के माध्यम से ट्रांसमिट करना होगा । चूंकि इसे पीछे की तिथि से प्रभावी नहीं किया जासकता, अतः इसे भविश्य में बेसिक टीयर में पे चैनलों की बढ़ती संख्या से बचने/को रोकने के लिए किया जाना चाहिए वि ोशकर पे टियर की अनुपलब्धता के कारण । इससे निम्न आय वाले ग्राहकों का बोझ भी हल्का होगा क्योंकि वे उच्च आय वाले ग्राहकों की लागत काफी कम रहे हैं क्योंकि प्रत्येक नये चैनल का भार सभी सब्सक्राइबरों पर समान रूप से डाला जाता है । इसमें वे भी भाामिल हैं जो इन्हें देखते भी नहीं हैं । इस उद्दे य के लिए और ग्राहकों को बाधा–रहित सेवा सुनि चत करने के लिए न्यूनतम छः माह का नोटिस अग्रिम में निर्धारित किया जाना चाहिए । उल्लिखित अवधि न्यूनतम है जिसके दौरान ग्राहक अपन विकल्प दे सकेंगे और सेवा प्रदाता एसटीबी रोल आउट करने के लिए पे टियर सेवा रोल आउट करने के लिए बाक्सों की संख्या/आव यक निवे ा का आकलन कर सकेगा । इससे वास्तविक रूप से ट्राइ को मौजूदा तथाकथित (बाधित) बेसिक सेवा टियर को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जबकि बाजार की भाक्तियों द्वारा पे टियर मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा , जिससे ऑपरेटरों को कैस रिजीम को धीमे–धीमे अपनाने में सहायता मिलेगी न कि उन्हें इस रिजीम में लादा जाएगा, अतः स्वैच्छिक कैस के उद्दे य कीपूर्ति हो जाएगी । (ओरटेल)
6. जी हा, एफटीए चैनल से पे चैनल में परिवर्तित होने के लिए 2 महीने का नोटिस दिया जाना निर्धारित किया जाए ताकि करार करने के लिए समुचित समय रहे और ऐसा करने में चूक के मामले में उन चैनलों को हटाने के संबंध में सब्सक्राइबर को पर्याप्त नोटिस मिल जाएगा । (बीएनबी केबल्स)
7. सामान्य तौर पर एफटीए से पे चैनल में बदलाव का चैनलों द्वारा काफी पहले नोटिस दिया जाता है । बहरहाल, उन्हें आम जनता को न्यूनतम 6 महीने पहले

मासिक अंतरालों पर यह बता देना चाहिए कि वे पे चैनलों में परिवर्तित हो रहे हैं । इससे ग्राहकों को समझने में सहायता मिलेगी कि यदि वे सेवाएं लेना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए और ज्यादा भुगतान करना होगा । चैनलों को रेगुलेटर के पास अधिकतम फुटकर मूल्य और उसके वितरण मार्जिन सहित उनके निर्धारित दरों को ब्यौरा देना चाहिए । (एएससी)

8. मौजूदा एफटीए चैनल जो पे चैनल में परिवर्तित होना चाहता है को न्यूनतम 3 माह का अग्रिम नोटिस देना चाहिए ताकि चैनलों के वितरक ऐसे चैनलों के साथ करार पर समझौता कर सके और ग्राहक भी यह जान सकें कि एक वि ोश चैनल के लिए उनहें भुगतान करना होगा और इसके परिणामस्वरू‍ उनके केबल बिल में मासिक वृद्धि होगी । इसके साथ–साथ ट्राई के समक्ष एक टैरिफ घोशणा दायर करने की भी आव यकता होगी, जिसे ट्राई द्वारा अपनी वेब साइट पर प्रदि ात किया जाएगा । (सिटी केबल)
9. छः माह का अग्रिम नोटिस (आईएमसीएल)
10. जी हां, प्रत्येक तीन महीनों में सिर्फ एक बार ही अर्थात प्रत्येक वर्श में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितम्बर और 1 जनवरी को तीन महीनों का अग्रिम नोटिस में ताकि प्रणाली के बारे में पूर्व में ही जानकारी हो जाए और सूचना प्रणाली में प्रत्येक कड़ी तक पहुंच जाएं । (हैथवे)
11. छः माह का अग्रिम नोटिस (कोफी)

परामर्□ा के लिए मुद्दा

संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव (आरआईओ)

- **क्या सकिय प्लेयर के आदर्□ा सब्सकिप□ान करार की भार्तों और निबंधन को अनुमोदित करने और ब्राडकास्टिंग और केबल टीवी सेवाओं में उनकी गतिविधियों में विनियमित करने के लिए ट्राई द्वारा आर आई ओ जारी किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो ऐसे आदर्□ा सब्सकिप□ान करार के लिए क्या तत्व होने चाहिएं ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां। सुझाए गए कुछ तत्व होने चाहिए जैसे करार से संबंधित चैनलों/प्रोग्रामों की विस्तृत सूची, करार की तिथि पर सब्सक्राइबर आधार, अंतिम उपभोक्ता के उल्लेख के लिए प्रत्येक चैनल के मोल–भाव दर और वितरक से प्रभारित की जाने वाली थोक दर, बाधाएं डालने वाले कारणों को बताना, यदि कोई हो तो, विवादों का निपटाना और बाधाओं के मामले में दायित्व, अनाधिकृत वितरण/पाइरेसी के विरूद्ध निवारक उपाय और उनके मामले आने पर उठाए जाने वाले कदम, माध्यस्थम के लिए व्यवस्था और करार समाप्त होना, ब्राडकास्टर की वचनबद्धता और वितरक की क्षतिपूर्ति, सामग्री और विज्ञापन संहिता का पालन न करने के किसी मामले में, ब्राडकास्टर द्वारा सेवा में व्यवधान के मामले में सब्सक्राइबर को दी जाने वाली धन वापसी, अनौचित्यपूर्ण व्यवधान के विरूद्ध रोकथाम के लिए ब्राडकास्टर से बैंक गारंटी लेना और यदि ब्राडकास्टर द्वारा विनियम को तोड़ा जाता है तो डाउनलिंकिंग पंजीकरण को रद्द करने के लिए व्यवस्था/ऐसे किसी परिदृ य की कल्पना करना काफी कठिन है जहां ब्राडकास्टर/वितरक के रि ते विवाद रहित होंगे अतः इस पर विचार किया जाना है कि ''इन करारों को कौन स्टोर करेगा ?'' ट्राई के मौजूदा कर्मचारी इस कार्यभार को वहन करने में समर्थ नहीं हैं । अतः ट्राई के अधीन एक केबल टी वी विनियमन स्कंध या पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय कार्यालयों सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सीआरएआई (भारतीय केबल टी वी विनियम प्राधिकरण) स्थापित किया जाए । (कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. ब्राडकास्टर एम एस ओ और केबल ऑपरेटर के साथ अपने हितों की सुरक्षा के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुक्त होना चाहिए । ऐसे हित, जो कि ट्राई द्वारा पूर्व में मौखिक रू‹ से रिकार्ड किया गया है, अथवा सब्सक्रिप ान

करार के रू᳴ में लिखित में दे दिया है । राज्य भाासित सेवा प्रदाता के इन्कम्बेंट एकाधिकार होने के कारण ट्राई द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए आर आई ओ जारी किया गया । हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि प्रसारण के मामले में यह स्थिति नहीं हैं । अतः आरआईओ जारी करने की कोई आव यकता नहीं है । हालांकि ट्राई का मत है कि सब्सक्रिप ान करार खत्म करने के पूर्व पार्टियों को विचार–विम र्ा करने के लिए विहंगम दृ य उपलब्ध कराना अत्याव यक है । (स्टार)

3. सब्सक्रिप ान करार के लिए ट्राई के अनुमोदन की भूमिका नहीं होनी चाहिए । यह सरकार द्वारा सेक्टर के लिए एक पूर्ण रेगुलेटरी रिजीम भाुरू करने के समान है और इसे कुछ दे ाों में सी एवं एस सेक्टर में रेगुलेटर की भूमिका के स्तर पर प्रक्रिया भाुरू हो जाएगी । वास्तविक रू᳴ से बाजार के विकास के लिए और निवे ाक द्वारा एक दिए गए बाजार के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए वाणिज्यिक करारों में किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । (यूएसआईबीसी)
4. ये करार वाणिज्यिक करार है तथा इस करार की भार्तों को पार्टियों की निजी इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए । करार एवं हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने का न तो किसी को अधिकार होना चाहिए न ही किसी के पास भाक्ति । (ईएसपीएन)
5. यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और एकाधिकार समाप्त करने की जिम्मेदारी ब्राडकास्टरों को सौंपी जानी चाहिए तथा एमएसओ एक क्षेत्र में एक से अधिक ऑपरेटर नियुक्त करें ताकि उपभोक्ता किसी एक ऑपरेटर की दया का पात्र न बनें । (बीएनबी केबल्स)
6. दूरसंचार क्षेत्र में लागू तथा प्रभावी बताए गए अनुसार एक संदर्भ अन्तरसंयोजन करार होना चाहिए । परिभाशित मूल तत्व इस प्रकार के होने चाहिए: ब्राडकास्टर/एमएसओ द्वारा अन्तरसंयोजन दरों की घोशणा करना तथा ट्राई की वेबसाइट में उनका प्रका ान; ऐसी दरें का गैर–मूलभेदक अनुप्रयोग; हस्ताक्षरित करार कर आश्रय लेने से पूर्व एक माह की अवधि के भीतर कनटेंट मुहैया कराने के सिद्धांत, डिकोडरों में अनिवार्य फिंगर प्रिंटिंग के पायरेसी रोधी उपाय करना जो मुहैया कराए जाते हैं; किसी वि ोश ऑपरेअर के लिए फोर्सड एड्रेसेबल मैसेजिंग

अनिवार्य बनाना तथा स्क्रौल आदि चलाने पर रोक लगाना; भुगतान, लेखांकन के लिए वैब एक्सेस बनाना तथा सभी ब्राडकास्टरों तथा एमएसओ को अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कराना; एफसीसी द्वारा निर्धारित समान पैटर्न पर सभी ब्राडकास्टरों तथा एमएसओ द्वारा मासिक तथा वार्शिक रिटर्न भरना तथा ऐसे सभी डाटा को सभी स्टेक होल्डरों द्वारा एक्सेस किए जाने के लिए वैब पर डालना । (एएससी)

7. माननीय टीडीसैट ने स्टार इंडिया बनाम इंडसइंड मीडिया नामक याचिका सं0 41/सी/2004 में, अन्तरसंयोजन विनियम के अंतर्गत अनिवार्य अपेक्षा के रूप में ब्राडकास्टरों तथा एमएसओ/केबल ऑपरेटर के बीच लिखित करार के निश्पादन को अधिदे ात किया है । यह सुझाव दिया जाता है कि ट्राई को गैर–कैस क्षेत्र के लिए मानक करार का मसौदा तैयार करने तथा अधिसूचित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए जिसे एक मॉडल करार के रूप में सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा अपनाया जा सकता हो तथा जिसे ट्राई द्वारा अनुबंधित उक्त मॉडल करार के अनुसार, अपने करार को डिजाइन तैयार कर सके । करार में अन्तरसंयोजन के सभी पहलुओं को भाामिल किया जाना चाहिए जैसे क्षेत्र, सब्कसक्राइबर आधार, वितरण का तरीका, अप्राधिकृत वितरण, कनटेंट जिम्मेवारियां आदि । ट्राई द्वारा मानक करार तैयार किए जाने की प्रक्रिया भाुरू करते ही इस संबंध में विस्तृत इनपुट मुहैया कराए जा सकते हैं । सिटी केबल का विचार है कि मानक करार को न केवल केबल वितरण के लिए बल्कि अन्य वितरण प्लेटफार्मों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए । (सिटी केबल)

8. डोमिनेंट प्लेयरों को विनियमित करने के लिए आरआईओ जारी किया जाना चाहिए तथा आरआईओ में प्राधिकरण की स्थिति/ ाक्तियां; मांगा गया क्षेत्र; दर; भुगतान अवधि; कितने वर्श; पारदर् िाता तथा प्रतियोगिता बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना आदि जैसे तत्व भाामिल होने चाहिएं । जब तक आरआईओ को अंतिम रूप दिया जाता है तथा आरआईओ को तैयार करने का उद्दे य तय किया जाता है, तब तक जो मुद्दे ध्यान में रखे जाने हैं, वे हैंः एमएसओ को केबल ऑपरेटरों/फ्रेंचाइजों की कार्रवाईयों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता; एक न्यूनतम गारंटी उपबंध नहीं होना चाहिए; बातचीत के जरिए तय हुए सब्सक्राइबर आधार के मामले में सब्सक्राइबरों के ब्यौरे/सूची, की कोई आव यकता नहीं होनी

चाहिए और करार की निर्धारित अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार में बढ़ोतरी करने की भी कोई आव यकता नहीं होनी चाहिए; वास्तविक सब्सक्राइबर आधार में हुए करार के मामलो में, मानो 3 मासिक सं ोधन (अप या डाउन) निर्धारित किए जाएं जिसमें दोनों ओर से मानो 5 प्रति त की अधिकतम सीमा हो औद्योगिक टाउनि ाप को करार से हटाया नहीं जाना चाहिए; सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए; सेवा क्षेत्र की परिभाशा में सीमांकित सेवा क्षेत्र के मौजूदा तथा नए दोनों घरों को भाामिल किया जाना चाहिए; करार प्रौद्योगिकी की दृश्टि से तटस्थ होना चाहिए; कनेक ान काटे जाने की परिस्थितियां निर्धारित की जाएं; पायरेसी के मामलों को छोड़कर, जहां नोटिस अवधि सात दिन की होनी चाहिए; अन्य सभी मामलों में 30 दिन की एक समान नोटिस अवधि निर्धारित की जाए; यह स्पश्ट किया जाए कि सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार पायरेसी नहीं है; नक ों की व्यवस्था करने की कोई आव यकता नहीं होनी चाहिए; ब्राडकास्टरों को एमएसओ के खाते/रिकार्ड देने की अनुमति नहीं होना चाहिए; अन्य पार्टियों के साथ एमएसओ का संविदात्मक संबंध रखना ब्राडकास्टरों का विशय नहीं होना चाहिए; कनटेंट के लिए लाइसेंस लेना ब्राडकास्टरों की जिम्मेवारी होनी चाहिए; ''मस्ट प्रोवाइड खण्ड'' में यह स्पश्ट रूप से उपबंधित किया जाए कि इच्छुक सब्सक्राइबरों को 30 दिन की अवधि के भीतर चैनल/कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी जिस अवधि में ब्राडकास्टरों या एमएसओ, जैसा भी मामला हो, के एजेंटों के साथ सभी समझौते, बातचीत करने की अवधि भाामिल होगी तथा समूह के किराए के बिल को सभी कोटियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए । (आईएमसीएल)

9. जी हां । उपभोक्ताओं/एण्ड सब्सक्राइबरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, करार करने के अधिकारों तथा दायित्वों सहित भारतीय संविदा अधिनियम के मूल सिद्धांतों को ही भाामिल किया जाए । (हैथवे)

10. डोमिनेंट प्लेयरों को विनियमित करने के लिए आरआईओ जारी किया जाना चाहिए तथा आरआईओ में प्राधिकरण की स्थिति/ ाक्तियां; मांगा गया क्षेत्र; दर; भुगतान अवधि; कितने वर्श; पारदर् िता तथा प्रतियोगिता बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना आदि जैसे तत्व भाामिल होने चाहिएं । जब तक आरआईओ को अंतिम रूप दिया जाता है तथा आरआईओ को तैयार करने का उद्दे य तय किया

जाता है, तब तक जो मुद्दे ध्यान में रखे जाने हैं, वे हैं: एमएसओ को केबल ऑपरेटरों/फ्रेंचाइजों की कार्रवाईयों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता; एक न्यूनतम गारंटी उपबंध नहीं होना चाहिए; बातचीत के जरिए तय हुए सब्सक्राइबर आधार के मामले में सब्सक्राइबरों के ब्यौरे/सूची, की कोई आव यकता नहीं होनी चाहिए और करार की निर्धारित अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार में बढ़ोतरी करने की भी कोई आव यकता नहीं होनी चाहिए; वास्तविक सब्सक्राइबर आधार में हुए करार के मामलों में, मानो 3 मासिक सं ोधन (अप या डाउन) निर्धारित किए जाएं जिसमें दोनों ओर से मानो 5 प्रति त की अधिकतम सीमा हो औद्योगिक टाउनि ाप को करार से हटाया नहीं जाना चाहिए; सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए; सेवा क्षेत्र की परिभाशा में सीमांकित सेवा क्षेत्र के मौजूदा तथा नए दोनों घरों को भाामिल किया जाना चाहिए; करार प्रौद्योगिकी की दृश्टि से तटस्थ होना चाहिए; कनेक ान काटे जाने की परिस्थितियां निर्धारित की जाएं; पायरेसी के मामलों को छोड़कर, जहां नोटिस अवधि सात दिन की होनी चाहिए; अन्य सभी मामलों में 30 दिन की एक समान नोटिस अवधि निर्धारित की जाए; यह स्पश्ट किया जाए कि सेवा क्षेत्र के विस्तार पायरेसी नहीं है; नक ों की व्यवस्था करने की कोई आव यकता नहीं होनी चाहिए; ब्राडकास्टरों को एमएसओ के खाते/रिकार्ड देने की अनुमति नहीं होना चाहिए; अन्य पार्टियों के साथ एमएसओ का संविदात्मक संबंध रखना ब्राडकास्टरों का विशय नहीं होना चाहिए; कनटेंट के लिए लाइसेंस लेना ब्राडकास्टरों की जिम्मेवारी होनी चाहिए; ''मस्ट प्रोवाइड खण्ड'' में यह स्पश्ट रूप से उपबंधित किया जाए कि इच्छुक सब्सक्राइबरों को 30 दिन की अवधि के भीतर चैनल/कनेक्टीविटी मुहैया कराई जाएगी जिस अवधि में ब्राडकास्टरों या एमएसओ, जैसा भी मामला हो, के एजेंटों के साथ सभी समझौते, बातचीत करने की अवधि भाामिल होगी तथा समूह के किराए के बिल को सभी कोटियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए । (कोफी)

परामर्ा के लिए मुद्दा

अंतिम छोर पर एकाधिकार

- **अंतिम छोर पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, यह सुनिचत करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाने की आवयकता है ताकि ग्राहकों को विकल्प मिल सके ?**
- **क्या परिचालन के उन क्षेत्रों में विनियामक फ्रेमवर्क संस्थापित किए जाने चाहिए और क्या उन ऑपरेटरों की संख्या का स्पश्ट उल्लेख होना चाहिए ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. यह कहना गलत है कि एलसीओ का एकाधिकार है । केबल नेटवर्क को चलाने के लिए पंजीकरण के इच्छुक व्यक्ति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है । निकट भविश्य में, केबल टीवी नेटवर्कों पर द ाकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे डीटीएच और आईपीटीवी उपलबध होंगे ताकि वे केबल टीवी, आईपीटीवी और डीटीएच में से किसी एक का चुनाव कर सके । वैसे क्षेत्रों जेसे टेलीकॉम सर्कलों की जब तक नीलामी नहीं हो जाती, तब तक निवे ाकों जिनके पास वित्तीय सामर्थ्य हो, परिचालन के क्षेत्रों का निर्धारण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क और ऑपरेटरों की संख्या का पता लगाना व्यावहारिक नहीं हो सकता है । डाक घरों में पंजीकरण कराने की प्रणाली में पंजीकरण प्रमाण–पत्र के हिस्से के रू में रिप्रजेनटेटिव स्केच सहित आवेदक के परिचालन क्षेत्र का उल्लेख किया जा सकता है । पंजीकरण प्राधिकारी प्रत्येक पंजीकृत हुए व्यक्ति के परिचालन क्षेत्र से संबंधित मानचित्र/रेखाचित्र तथा उस क्षेत्र में पंजीकृत हुए एक से अधिक व्यक्तियों, यदि कोई हो, को द ाते हुए जारी कर सकता है । (कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. इस मुद्दे को अन्य वितरण प्लेटफार्म के आगमन पर जब आं िाक रूप से संबोधित किया गया हो, तो अंतिम छोर पर एकाधिकार को केवल स्पश्ट लाइसेंसिंग रिजीम का निर्धारण करके एड्रेस किया जा सकता है । ट्राई द्वारा विनियामक फ्रेमवर्क जिसमें टेलीकॉम की तरह पूरे भारत में विभिन्न प्रदे ाों में केबल ऑपरेटरों की

लाइसेंसिंग को भाामिल किया जाएगा, को लागू करने पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए । ट्राई या तो पूरे भारत में अथवा भारत के किन्ही खास क्षेत्रों में केबल के लिए लाइसेंस धारकों की नियुक्ति के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित कर सकता है । इन क्षेत्रों का सीमांकन राज्यवार, भाहरवार आदि के रूप में किया जा सकता है । टेलीकॉम मामले की तरह ही ट्राई प्रत्येक परिचालक क्षेत्र के लिए एक या अधिक केबल ऑपरेटरों को अनुमति दे सकता है । केबल ऑपरेटरों द्वारा अद किए जाने वाले लाइसेंस भुल्क से यह सुनि चत होगा कि लंबित अवधि के लिए निवे ा करने के इच्छुक केवल गंभीर ऑपरेटर ही इस बाजार में परिचालन करेंगे (स्टार)

3. ''अंतिम छोर'' एकाधिकार को डीटीएच सैटेलाइट टीवी सेवा के माध्यम से पहले ही हटा लिया गया है । ट्राई द्वारा भारत में केबल ऑपरेटरों के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का विकास करने के लिए तत्काल पहल की जानी चाहिए ताकि ऑपरेटरों पर अपने सब्सक्राइबर आधार और परिचालन के क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए दबाव बनाया जा सके । लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के न होने पर, यथावत स्थिति ही इस पराम र्ा में ट्राई द्वारा उठाए गए अधिकां ा मुद्दों का मूल कारण है । इसके अतिरिक्त, अंतिम छोर पर अधिक निवे ा की आव यकता और संपिंडन कम हो जाता है क्योंकि निवे ाक विखंडित, अपारद र्ाी बाजार से दूर भागते हैं । (यूएसआईबीसी)
4. वास्तव में, डीटीएच सैटेलाइट टेलीविजन सेवा पहले से ही ''अंतिम छोर'' केबल ऑपरेटरों के लिए प्रभाव ााली प्रतिस्पर्धा मुहैया करा रहा है और कुछ क्षेत्रों में समग्र पे टीवी सब्सक्राइबरों के 15 प्रति ात तक सेवा प्रदान करते हुए सब्सक्राइबरों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि कर रहा है । ट्राई द्वारा इस वि ोश मुद्दे पर पराम र्ा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के स्तर के संबंध में विचार किया जाना । (एमपीए)
5. टेलीकॉम सेक्टर की तरह इस उद्दे य के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली होनी चाहिए । यह सुनि चत किया जाए कि इस प्रणाली में प्रत्येक क्षेत्र के लिए दो से तीन लाइसेंसधारक हो । एलसीओ स्तर पर प्रतिस्पर्धा सुनि चत करने का यह बेहतर

संभावित तरीका है । इसे सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क का निर्धारण किया जाए (ईएसपीएन)

6. कैरिएज अथवा इसकी भार्तों का विनियमित करने के लिए किसी प्रकार के विनियम की सिफारि ा नहीं की जाती । (एएससी)
7. डीटीएच, ब्राडबैंड और एचआईटीएस के लांच होने से, अंतिम छोर ऑपरेटर का तथाकित मौजूदा वस्तुतः एकाधिकार अधिक समय तक नही बना रहेगा । इस प्रकार के परिदृ य में इससे संबंधित किसी प्रकार का विनियम अनाव यक है । यह उल्लेख करना उचित होगा कि परिचालन के किसी क्षेत्र में मल्टीपल ऑपरेटरों के होने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और अंततः इससे ग्राहकों को फायदा पहुंचेगा । किसी क्षेत्र में ऑपरेटरों की संख्या को सीमित करने अथवा प्रतिबंध लगाने से इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना होगा, यह अलाभप्रद होगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए । (सिटी केबल)
8. विनियामक के पास अब इतना समय नहीं है कि वे परिचालन के क्षेत्र ें और ऑपरेटरों की संख्या का उल्लेख कर सके क्योंकि ऐसा करना बहुत जटिल कार्य होगा चूंकि परिचालन के क्षेत्र अथवा ऑपरेटरों की संख्या चिह्नित नहीं है । जैसे दक्षिण दिल्ली में 5–7 एमएसओ हैं और स्वतंत्र ऑपरेटर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में किसी का एकाधिकार नहीं है । फरीदाबाद जैसे स्थान भी हैं जहां वर्टिकल इंटेग्रेटेड कंपनी का प्रत्येक अंतिम छोर सहित प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष एकाधिकार है और अभी तक यहां कोई भी एमएसओ प्रवे ा करने में समर्थ नहीं हुआ है । इस समय नए प्रवे ाकों के लिए कंटेंट सही प्रकार से और निरपवाद रूप से उपलब्ध है और अंतिम छोर पर एकाधिकार यथावत रहेंगे । वास्तव में आईएमसीएल की धारणा है कि किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं है क्यांकि हजारों की संख्या में ऑपरेटर हैं दूसरी ओर जब अन्तरसंयोजन विनियम नहीं था तब तीन से चार डीटीएच प्लेटफार्म प्रदाताओं जो केबल ऑपरेटरों की हजारों की निर्धारित संख्या के लिए चार डीटीएच प्लेटफार्म प्रदाताओं जो केबल ऑपरेटरों की हजारों की निर्धारित संख्या के लिए वि ोश कनटेंट मुहैया कराना चाहेंगे, के लिए अन्तर्विहित एकाधिकार हो सकता है । (आईएमसीएल)

9. केवल वैकल्पिक प्लेटफार्म जैसे डीटीएच, आईपीटीवी आदि के रूप में विकल्प चुनने की सुविधा है, चूंकि बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा है इसलिए अंतिम छोर पर तथाकथित एकाधिकार काल्पनिक है । परिचालन के क्षेत्रों और ऑपरेटरों की संख्या का उल्लेख करना गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है और इससे प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा । इसके अलावा, यह केन्द्रीय कानून अर्थात् केबल टीवी अधिनियम जो एक वि ोश पोस्ट ऑफिस के क्षेत्राधिकार/क्षेत्र मे परिचालन के लिए लाइसेंस मुहैया करता है, के प्रतिकूल होगा । जब तक उसके पास अपेक्षित डाक घर लाइसेंस है और मनोरंजन कर पंजीकरण/सेवा कर पंजीकरण है और किसी स्थानीय एमएसओ से जुड़ने का संबंध है और इस संबंध में अपनी सच्चाई पूर्ण घोशणा प्रस्तुत करता है कि आयकर अधिनियम (नया सरल) के तहत वैध परमानेंट एकाउंट नंबर है तो इस विनियम को केन्द्रीय सरकार के किसी कानून के विरूद्ध नहीं माना जा सकता और वह अपने कुल घोशित सब्सक्राइबर आधार के लिए सिगनल मुहैया कराए जाने का पात्र हैं । (हैथवे)

10. विनियामकों के लिए यह आव यक नहीं है कि वह परिचालन के क्षेत्र और ऑपरेटरों की संख्या का उल्लेख करें क्योंकि यह लाइसेंसिंग का एक हिस्सा है । वास्तव में अंतिम छोर पर कोई एकाधिकार नहीं है क्योंकि केबल टीवी नेटवर्क को भाुरू करने के लिए केबल ऑपरेटरों की कितनी भी संख्या का डाक घर में पंजीकरण कराया जा सकता है । एमएसओ/ब्राडकास्टर के स्तर पर एकाधिकार का सृजन वहां होता है जहां समझौते और गठजोड़ के रूप में कार्य होते हैं । जब तक नए प्रवे ाकों को कंटेंट सही और निपवाद रूप से उपलब्ध होंगे जब तक अंतिम छोर का एकाधिकार रहेगा । (कोफी)

परामर्ा के लिए मुद्दा

कैरिज भाुल्क विनियम

- **क्या केबल नेटवर्क पर कैरिज भाुल्क का विनियमन होना चाहिए ? यदि हां, तो वह किस आधार पर होना चाहिए तथा कैरिज प्रभारों की गणना किस प्रकार होनी चाहिए ?**

- **यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका होना चाहिए कि कैरिज भुल्क की सीलिंग में वृद्धि नहीं हुई है ?**

प्राप्त टिप्पणियां

1. केबल नेटवर्क पर कैरिज भुल्क का विनियमन नहीं होना चाहिए । कैरिज भुल्क पे–टीवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से प्रभारित राजस्व का अधिकतम होना चाहिए । संभवतः एफटीए के लिए कैरिज भुल्क पे–टीवी के लिए लगाए गए अधिकतम प्रभार का 25 प्रति ात तक रखा जा सकता है । यह अधिक अच्छा होगा कि इसे नेटवर्क मालिकों पर ही छोड़ दिया जाए क्योंकि यह हेड एंड उपस्करों, नेटवर्क हार्डवेयर तथा आईएस 13420 की अनुरूपता की डिग्री की गुणवत्ता से भी संबंधित है । (कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. चैनल सप्लायर तथा एमएसओ के बीच संबंध बाजार की भाक्तियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए तथा इसमें चैनल सप्लाई या कैरिज के लिए मूल्य विनियम का कोई औचित्य नहीं है । बहरहाल, स्टार इंडिया का विचार यह है कि विनियम समानता में यह अपेक्षा की जाती है कि जब चैनल सप्लाई की लागत फ्रीज हो जाती है तथा अं ादान भुल्क अभी उपलब्ध है तो कैरिज/प्लेसमेंट भुल्क पर सीलिंग लगाकर मूल्य स्थिर कर दिए जाने चाहिए । ऐसी सीलिंग का उल्लेख प्रति सब्सक्राइबर रूप्ये में होना चाहिए जैसी कि एमएसओ द्वारा घोशणा की गई है । ऐसा इस विशमता को दूर करने के लिए आव यक है कि जब ब्राडकास्टरों का राजस्व फ्रीज हो जाता है तो ब्राडकास्टरों की लागत (कैरिज भुल्क के संदर्भ में) किसी भी अनुपात में तथा किसी भी फ्रीक्वेंसी में बढ़ाई जा सकती है । एमएसाओ के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने कैरिज करार की प्रतियां ट्राई के पास जमा कराएं ताकि सीलिंग लिमिट के अंतर्गत उनके भुगतान का सत्यापन किया जा सके । ट्राई कैरिज भुल्क पर लगाई गई ऐसी सीलिंग को हटाने का ठीक उसी समय विचार कर सकती है जब चैनल सप्लाई तथा सब्सक्रिप ान दरों पर लगाई गई मूल्य वृद्धि की रोक को वापिस लिया जाएगा । कैरिज भुल्क ब्राडकास्टर द्वारा बड़े

एमएसओ को घोशित प्रति सब्सक्राइबर आधार पर किया जाएगा । इस प्रणाली से यह सुनि चत होगा कि कैरिज भुल्क की सीलिंग नहीं बढ़ाई गई है । (स्टार)

3. चैनल सप्लायर तथा एमएसओ के बीच संबंध बाजार भाक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । अतः विनियम के दूसरी ओर मूल्य विनियमन का कोई औचित्य नहीं है अर्थात चैनल सप्लाई तथा कैरिज दरों को पार्टियों के बीच वाणिज्यिक वार्ता पर छोड़ दिया जाना उत्तम होगा (यूएसआईबीसी)

4. चैनल सप्लायर तथा एमएसओ/केबल ऑपरेटर के बीच संबंध प्रोग्रामिंग सप्लाई में प्रतिस्पर्धा की डिग्री द र्शाते हुए बाजार की भाक्तियों पर छोड़ दिया जाना सुरक्षित होगा । अतः ट्राई द्वारा चैनल या कैरिज दरों पर मूल्य विनियम अधिरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है । (एमपीए)

5. केबल नेटवर्क पर कैरिएज भुल्क इस प्रकार लगाए जाने चाहिएः (क) कैरिएज भुल्क की रा ि ा तर्कपूर्ण आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ताकि नए प्रवे ाक हतोत्साहित न हों । (ख) कैरिएज भुल्क की रा ि ा का निर्धारण चैनल प्रारंभ होने के भुरूआती महीनों में औचित्यपूर्ण होना चाहिए वि ोशकर अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तथा (ग) चैनल प्रारंभ होने के दो–तीन वर्शों बाद नए प्रवे ाकों से प्रभार वसूल नहीं किए जाने चाहिए । (ईएसपीएन)

6. कैरिएज भुल्क का विनियमन एक अवांछनीय धटना है जोकि केबल तंत्र की सीमित क्षमता के कारण केबल ऑपरेटरों द्वारा लागू किया गया है । इसके द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम भुरू किया जाना संभावित है । इस समय, एसएसपी कैरिएज या इसकी भार्तों के विनियमन की सिफारि ा नहीं करता । (एएसपी)

7. यह पूर्णतः अतार्किक होगा कि चैनल के विज्ञापन राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए कैरिएज/प्लेसमेंट शुल्क के विनियमन हेतु कोई प्रयास किया जाए । टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों तथा उनकी दरों पर कोई नियंत्रण/प्रतिबंध नहीं है । ये मांग और सप्लाई जैसी बाजार की शक्तियों द्वारा शासित है तथा लोकप्रियता और चैनलों की पहुंच पर भी आधारित हैं । जबकि दूसरी ओर चैनलों की लोकप्रियता तथा उनकी पहुंच चैनल की दृश्यता पर आधारित होती है । इस दृश्यता को सुनिश्चित करने के लिए ब्राडकास्टरों द्वारा केबल ऑपरेटरों को शुल्क अदा किया जा रहा है । कैरिएज/प्लेसमेंट शुल्क पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता तथा इसे किसी विनियम के द्वारा नियंत्रित करने की अपेक्षा डिजीटलीकरण को प्रोत्साहित करके केबल नेटवर्क पर क्षमता संवर्धन करना वास्तव में उचित एवं व्यावहारिक है । अतः कैरिएज शुल्क ब्राडकास्टरों तथा चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच आपसी वार्ता द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए तथा प्राधिकरण की ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । (सिटी केबल)

8. केबल नेटवर्क पर कैरिएज शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस व्यवसाय में कैरिएज का प्रवेश टीआरपी के लिए हुआ है । कंटेंट कैरियर/ब्राडकास्टर प्लेसमेंट शुल्क अदा करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि उन्हें अच्छी टीआरपी मिले, जिसके बदले में उन्हें अच्छे विज्ञापन मिलेंगे । वे केबल ऑपरेटरों को प्लेसमेंट शुल्क अपने विज्ञापन हिस्से में से ही अदा कर रहे हैं और यदि चैनलों पर विज्ञापन दिखाने पर कोई रोक नहीं लगती तो यही स्थिति उनके द्वारा अदा किए जाने वाले हिस्से पर भी लागू होगी । यदि पे चैनलों पर या फ्री टु एयर चैनलों पर विज्ञापनों के लिए नियंत्रण लगाया जाता है तो वे एमएसओ या केबल ऑपरेटरों को कैरिएज शुल्क अदा नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट शुल्क अदा करने का कोई आधार नहीं होगा । यदि ब्राडकास्टर अपने नेटवर्क पर केबल नेटवर्कों की अच्छी फ्रीक्वेंसी के कारण अधिक विज्ञापन प्राप्त करते हैं तो केबल ऑपरेटरों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे उनके

राजस्व से अपने हिस्से की मांग करें । आज स्थिति यह है कि केबल ऑपरेटर बिना कुछ प्राप्त किए (अर्थात् एमआरपी पर लाभ, एमएसओ बिल, एमआरपी पर संग्रहण तथा भुगतान) ब्राडकास्टरों को अपने नेटवर्क का प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं ।

9. जी नहीं, । कैरिएज भुल्क का किसी भी प्रकार का विनियमन विवादों में वृद्धि ही करेगा । कैरिएज भुलक समझौते का विशय है तथा इसे बाजार की भाक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए अन्यथा पारद िता में कमी आएगी/बुराइयों/कदाचार को बढ़ावा मिलेगा । (हैथवे)

10. केबल नेटवर्क पर कैरिएज भुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता चूंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस व्यवसाय में कैरिएज का प्रवे ा टीआरपी के लिए हुआ है । कंटेंट कैरियर/ब्राडकास्टर प्लेसमेंट भुल्क अदा करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि उन्हें अच्छी टीआरपी मिले, जिसके बदले में उन्हें अच्छे विज्ञापन मिलेंगे । वे केबल ऑपरेटरों को प्लेसमेंट भुल्क अपने विज्ञापन हिस्से में से ही अदा कर रहे हैं और यदि चैनलों पर विज्ञापन दिखाने पर कोई रोक नहीं लगती तो यही स्थिति उनके द्वारा अदा किए जाने वाले हिस्से पर भी लागू होगी । यदि पे चैनलों पर फ्री टु एयर चैनलों पर विज्ञापनों के लिए नियंत्रण लगाया जाता है तो वे एमएसओ से या केबल ऑपरेटरों को कैरिएज भुल्क अदा नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट भुल्क अदा करने का कोई आधार नहीं होगा । यदि ब्राडकास्टर अपने नेटवर्क पर केबल नेटवर्कों की अच्छी फ्रीक्वेंसी के कारण अधिक विज्ञापन प्राप्त करते हैं तो केबल ऑपरेटरों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे उनके राजस्व से अपने हिस्से की मांग करें । आज स्थिति यह है कि केबल ऑपरेटर बिना कुछ प्राप्त किए (अर्थात् एमआरपी पर लाभ, एमएसओ बिल, एमआरपी पर संग्रहण तथा भुगतान) ब्राडकास्टरों को अपने नेटवर्क का प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं । (कोफी)